विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1971-72

Acc. No. 31/12/73
Date

-54
378-59
UGC-R

य अनुदान आयोग-अधिनियम 1956 की
नुपालन में भारत-सरकार को प्रस्तुत

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली
(भारत)

नोट

रिपोर्ट में आँकड़े पूर्णांकों में दिये गये हैं

1 लाख— 1,00,000

1 करोड़— 1,00,00,000 यानी 10 मिलियन

अगस्त 1973

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित तथा प्रिन्ट ऐड, नई दिल्ली-24 द्वारा मुद्रित।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1971-72

NIEPA DC
D06251

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुपालन में भारत-सरकार को प्रस्तुत

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1971-72

प्रोफेसर डी० एस० कोठारी (अध्यक्ष)

डा० ए० एस० अडके, कुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय

श्री जी० के० चंदीरमानी, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा एवं समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती इन्दुमती चिमनलाल

डा० एस० धवन, निदेशक, भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलोर

डा० पी० बी० गजेंद्रगडकर, कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय

प्रोफेसर ए० बी० लाल, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रोफेसर तापस मजुमदार

श्री पी० गोविंदन नायर, सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

श्री आर० के० छाबड़ा (सचिव)

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-625L
Date 9/7/91

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्रवेश	2
2.	विश्वविद्यालयों को अनुदान	4
3.	उच्चतर अध्ययन-केन्द्र	16
4.	कालेजों की सहायता	18
5.	अध्यापकों के लिए कार्यक्रम	26
6.	छात्रों के लिए कार्यक्रम	34
7.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	43
8.	निष्कर्ष	47

परिशिष्ट

I.	भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं: 1971-72	50
II.	पाठ्यक्रमों के अनुसार कालेजों का वितरण, 1967-68 से 1971-72 तक	54
III.	छात्रों की भरती में वृद्धि: 1961-62 से 1971-72 तक	55
IV.	छात्रों की भरती—संकायवार : 1969-70 से 1971-72 तक	56
V.	छात्रों की भरती—स्तरवार : 1969-70 से 1971-72 तक	57
VI.	विश्वविद्यालय-विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और उनका वितरण : 1967-68 से 1971-72 तक	58

VII. संबद्ध कालेजों में अध्यापकों का पदनामवार वितरण : 1967-68 से 1971-72 तक 59

VIII. जो डिग्रियां दी गई : 1966-67 से 1968-69 तक 60

IX. उच्चतर अध्ययन-केन्द्र 62

X. संकायवार भरती—विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध कालेजों में : 1971-72 65

XI. स्तरवार भरती—विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध कालेजों में : 1971-72 66

XII. कालेजों को दिये गये विकास-अनुदान : 1971-72 67

XIII व्यय : योजनागत तथा योजनेतर परियोजनाएं : 1971-72 69

चित्र

चित्र—1. विश्वविद्यालयों में छात्रों की भरती : 1961-62 से 1971-72 तक 71

चित्र—2. संकायवार छात्रों की भरती : 1969-70 से 1971-72 तक 72

चित्र—3. विभिन्न स्तरों पर छात्रों की भरती : 1969-70 से 1971-72 तक 73

चित्र—4. स्नातकोत्तर छात्रों की भरती : 1961-62 से 1971-72 तक 74

चित्र—5. अनुसंधान में छात्रों की भरती : 1961-62 से 1971-72 तक 75

चित्र—6. पद के अनुसार अध्यापकों का वितरण : 1971-72 76

चित्र—7. अध्यापकों का संकायवार वितरण : 1971-72 77

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अनुसार हम संसद के सामने रखने के लिए आयोग के 1971-72 के काम की रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।

आयोग की सदस्यता में कुछ परिवर्तन हो गये हैं। मई, 1971 में श्री पी० गोविंदन नायर का निधन हो गया। 14 जून, 1971 से उनके स्थान पर भारत-सरकार के वित्त-मंत्रालय में व्यय-विभाग के सचिव श्री एम० आर० यार्डी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। श्री जी० के० चंदीरमानी के अवकाश ग्रहण कर लेने पर 30 जून, 1971 से शिक्षा एवं समाज-कल्याण-मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री टी० पी० सिंह आयोग के सदस्य नियुक्त हुए*। डा० पी० बी० गजेंद्रगडकर के बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा दे देने के कारण 1 अक्तूबर, 1971 से वे आयोग के सदस्य नहीं रहे। डा० गजेंद्रगडकर के स्थान पर 29 दिसंबर, 1971 से केरल विश्वविद्यालय के कुलपति, डा० जार्ज जौकब आयोग के सदस्य नियुक्त कर दिये गये। डा० एस० धवन अप्रैल, 1971 में एक वर्ष के लिए विदेश चले गये और इसलिये वे आयोग की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके। 6 अक्तूबर, 1971 से वे भी आयोग के सदस्य नहीं रहे। (यों उनका कार्यकाल फरवरी, 1972 में समाप्त होने वाला था।) डा० ए० एस० अडके तथा प्रोफेसर ए० बी० लाल आयोग के सदस्यों के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद क्रमशः 15 जनवरी तथा 1 फरवरी, 1972 से आयोग के सदस्य नहीं रहे। डा० अडके तथा प्रोफेसर लाल के स्थानों पर क्रमशः जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डा० जे० एन० भान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डा० सरूपसिंह आयोग के सदस्य नियुक्त किये गये।

श्री गोविंदन नायर के निधन पर आयोग गहरी वेदना तथा अपार दुःख की भावना व्यक्त करता है। श्री जी०के० चंदीरमानी, डा० पी०बी० गजेंद्रगडकर, डा० ए०एस० अडके,

---

* शिक्षा एवं समाज-कल्याण मन्त्रालय से तबादला हो जाने पर श्री टी० पी० सिंह आयोग के सदस्य नहीं रहे।

प्रोफेसर ए० बी० लाल तथा डा० एस० धवन ने सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आयोग को जो अमूल्य सहायता और सलाह दी, उसके लिए आयोग उनका बहुत कृतज्ञ है ।

प्रवेश

पिछले दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो वृद्धि और विस्तार हुआ है उसका संकेत नीचे के तथ्यों और आँकड़ों से हो जाता है :

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या*	कालेजों की संख्या**	अध्यापकों की संख्या**	छात्रों की भरती***
1	2	3	4	5
1961-62	49	1,783	63,053	11,55,380
1966-67	77	2,749	93 251	19,49,012
1971-72	95	3,896	1,39,204	32,62,314

परिशिष्ट I और II में विश्वविद्यालयों की कालक्रमानुसार सूची तथा उनके छात्रों की संख्या का विवरण और 1967-68 से 1971-72 के बीच पाठ्यक्रमों के अनुसार कालेजों के वितरण का ब्यौरा दिया गया है । 1961-62 में कुल 46 विश्वविद्यालय थे और तीन ऐसी संस्थाएँ थीं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी जाती थीं । 1966-67 में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 68 हो गई और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की 9. 1971-72 में विश्वविद्यालयों की संख्या 86† थी और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की नौ.

* इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं ।

** इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं हैं ।

*** इनमें उत्तरप्रदेश के बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन के अधीन इंटरमीडिएट कक्षाओं में छात्रों की भरती की संख्याएं भी शामिल हैं ।

† नवम्बर, 1972 तक आते-आते देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 89 हो गई थी

आयोग ने पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी सहमति दे दी है। आयोग ने पहले इस प्रस्ताव पर भी विचार किया था कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक ऐसी संस्था घोषित कर दिया जाये जो विश्वविद्यालय मानी जाती है। भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि इस संस्था को दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्वायत्त कालेज मान लेने की संभावनाओं पर सोच-विचार किया जाये। एक प्रस्ताव यह भी आया कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बम्बई को विश्वविद्यालय मानी जानेवाली संस्था घोषित कर दिया जाये। इस बारे में आयोग का मत यह रहा कि साधारणतः अभीष्ट लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति, उक्त इंस्टीट्यूट को एक स्वायत्त कालेज का दर्जा देने से, समुचित रूप से हो जायेगी—बल्कि कुछ दृष्टियों से तो यह और भी अच्छा रहेगा।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 1961-62 में छात्रों की भरती की कुल संख्या 11.55 लाख थी, परन्तु 1971-72 में यह संख्या बढ़ते-बढ़ते 32.62 लाख हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले दस वर्षों में छात्रों की संख्या लगभग तिगुनी हो गई है, पर 1970-71 तथा 1971-72 में बढ़ोतरी की औसत दर में साफ कमी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बीच कई विश्वविद्यालयों की संविधियों में परिवर्तन हुए हैं और छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में प्राईवेट तौर पर बैठने की अनुमति दे दी गई है। 1971-72 में कुल जितने छात्र भरती हुए उनमें से 37.5 प्रतिशत को विज्ञान तथा संबद्ध पाठ्यक्रमों—यानी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि और पशु-चिकित्सा-विज्ञान—में दाखिला मिला। शुद्ध विज्ञान में, 1969-70 में कुल 9.15 लाख छात्रों की भरती हुई थी, 1971-72 में यह संख्या बढ़कर 9.88 लाख हो गई। परिशिष्ट III से लेकर अंत तक में जो ब्यौरे दिये गये हैं उनसे यह भी पता चल जाता है कि भरती में हर साल किनी बढ़ोतरी हुई और छात्रों की भरती के रुझानों की भी जानकारी हो जाती है—संकायवार भी और शिक्षा के स्तर के अनुसार भी। स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान के स्तरों पर भरती में सार्थक वृद्धि हुई है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1969-70 में छात्रों की संख्या 1.47 लाख थी, 1971-72 में यह संख्या बढ़कर 1.80 लाख हो गई। इस अवधि में उक्त स्तर के छात्रों का प्रतिशत अनुपात 5.3 से बढ़कर 5.5 हो गया। अनुसंधान के स्तर पर 1969-70 में छात्रों की कुल संख्या 12,474 थी और 1971-72 में बढ़कर 14,995 हो गई—यानी कुल प्रतिशतअनुपात 0.4 से बढ़कर 0.5 हो गया।

विश्वविद्यालय-विभागों तथा कालेजों में अध्यापकों* की कुल संख्या 96-62 में, 63,053 थी, 1966-67 में बढ़कर 93,251 हो गई और 1971-72 तक आते-आते 119,204 तक पहुंच गई। विश्वविद्यालयों और कालेजों में पद के अनुसार अध्यापकों की संख्या

---

* इनमें उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन के इंटरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापकों को शामिल नहीं किया गया है।

और जिस प्रकार का वितरण है, उसका उल्लेख परिशिष्ट VI तथा VII में किया गया है ।

इधर के वर्षों में विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में स्नातक होकर विश्वविद्यालयों से निकलने वालों के प्रतिशत अनुपात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है । विभिन्न संकायों के अन्तर्गत 1966-67 से 1968-69 तक जो उपाधियाँ दी गई हैं उनका ब्यौरा परिशिष्ट VIII में दिया गया है ।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रयत्नों में विविधता तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से स्पष्टतः उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वृद्धि और विस्तार की गति असाधारण रही है जिसकी वजह से मौजूदा सुविधाओं को काफी कुछ व्यापक बनाना आवश्यक हो गया है । इसके साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के स्तरों और गुणवत्ता की रक्षा करने और उनका विकास करने के भी प्रयत्न करने पड़े है । शिक्षा के विस्तार की तथा स्तर और गुणवत्ता को ऊपर उठाने की इस चुनौती का सामना करने के लिए आयोग ने सुयोजित और सुसंगठित प्रयत्न किये हैं ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालयों ने जो विकास-कार्यक्रम तैयार किये थे, उनकी जाँच परख आयोग द्वारा नियुक्त समितियाँ पहले कर चुकी हैं । इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 1966-67 से 1973-74 की अवधि के लिए 66 विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली आठ संस्थाओं के निमित्त 56.30 करोड़ रुपये के अनुदान नियत किये । इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निमित्त 1973-74 तक की अवधि के लिए 6.50 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई ।

जिन कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता दी जा रही है उनमें ये शामिल हैं : अध्ययन-क्रमों में विविधता लाना, अध्ययन और अनुसंधान की सुविधाओं का विस्तार और विकास करना तथा अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करना ; भवनों, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं, किताबों और उपकरणों तथा छात्रों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि । पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों को (जिनमें विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं) जो विकास-अनुदान दिये गये, वे इस प्रकार थे :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

प्रयोजन	जो अनुदान दिये गये		
	1969-70	1970-71	1971-72
वैज्ञानिक विषयों के लिए	360.56	345.42	404.10
मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए	171.74	209.63	254.10
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के लिए	268.14	186.36	190.77
विविध योजनाओं के लिए*	334.68	422.63	646.46

विज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान का विकास-व्यय 1969-70 में 3.61 करोड़ रु० था; 1971-72 में यह व्यय बढ़कर 4.04 करोड़ रु० हो गया। पिछले तीन वर्षों में प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत विज्ञान पर जो खर्चा हुआ, उसका विवरण इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

खर्च की मदें	जो अनुदान दिये गये		
	1969-70	1970-71	1971-72
अध्यापक-वर्ग	55.73	68.90	102.11
उपकरण	99.65	78.09	83.83
पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं	74.25	59.53	40.17
प्रयोगशालाएं तथा अन्य भवन	85.50	88.86	116.91
उच्चतर अध्ययन-केन्द्र	44.85	48.44	56.18
विविध	0.58	1.60	4.90
जोड़	360.56	345.42	404.10

* अध्यापकों एवं छात्रों के लिए आवास, पुस्तकालय-भवनों तथा छात्रों की सुख-सुविधाओं आदि की व्यवस्था।

1971-72 में अतिरिक्त अध्यापकों और उपकरण पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विश्वविद्यालयों में प्रवर शैक्षणिक पदों में काफी बढ़ोतरी हुई है। उपकरणों के डिजाइन तैयार करने और उपकरण बनाने के लिए तथा उनके रख-रखाव और सफाई आदि के लिए जिस तरह की वर्कशाप-सुविधाओं की जरूरत होती है, उनकी भी व्यवस्था की गई है।

कुछ विश्वविद्यालयों ने नये अध्ययन-क्रम शुरू करने और स्नातकोत्तर विज्ञान-विभागों में दाखिलों की संख्या बढ़ाने के सुझाव रखे थे। विशेषज्ञ-समितियों ने इन सुझावों की जाँच की और उनकी सिफारिशों के आधार पर संबद्ध विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गई। इलेक्ट्रोनिकी-विभाग के सलाह-मशविरे से कम्प्यूटर-सुविधाओं के सुझावों पर विचार किया गया। आयोग ने तय किया कि विश्वविद्यालयों के लिए उनके विकास-कार्यक्रमों के वास्ते जो धनराशियाँ नियत की गई है उनके अतिरिक्त कम्प्यूटरों के लिए भी अनुदान दिये जायें। कम्प्यूटरों-सुविधाओं के विकास के बारे में बंगलोर के भारतीय विज्ञान-संस्थान (इंडियन इंस्टट्यूट ऑफ साइंस) का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और इलेक्ट्रोनिकी विभाग से सलाह-मशविरा करके संस्थान को अतिरिक्त अनुदान दिये गये। कुछ विश्वविद्यालयों को नाजुक उपकरण जमाने और उनके रख-रखाव के लिए भी अनुदान दिये गये हैं। फरवरी, 1971 में नई दिल्ली में परिवेश-विज्ञान तथा पारिस्थितिकी पर एक परिचर्चा हुई थी। इस संबंध में जो सुझाव विश्वविद्यालयों से आये हैं उनकी जाँच-परख एक विशेषज्ञ-समिति कर रही है। एक अन्य विशेषज्ञ-समिति की सलाह पर यह सुझाव दिया गया है कि गुलमर्ग में जो अधिक-तुंगता—प्रयोगशाला है उसका विकास एक अन्तर-विषय अनुसंधान-केन्द्र के रूप में किया जाये।

1969-70 से 1971-72 तक मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अध्यापन तथा अनुसंधान पर जो व्यय किया गया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

खर्च की मदें	जो अनुदान दिये गये		
	1969-70	1970-71	1971-72
अध्यापक-वर्ग	44.70	77.29	113.71
उपकरण	5.59	5.07	6.09
किताबें और पत्र-पत्रिकाएं	62.21	54.67	39.01
भवन-निर्माण	30.47	36.19	60.33
उच्चतर अध्ययन-केन्द्र	24.56	23.89	28.87
क्षेत्रीय अध्ययन-कार्यक्रम	4.21	3.49	2.37
अध्यापक-प्रशिक्षण-कार्यक्रम	—	9.03	3.72
जोड़	171.74	209.63	254.10

अध्यापक वर्ग पर होने वाले खर्च की बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि शैक्षणिक पदों में काफी वृद्धि हुई है।

जिन समितियों ने विश्वविद्यालयों के विकास-कार्यक्रमों की जाँच-पड़ताल की थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय-भवनों के निर्माण अथवा विस्तार के लिए कुल मिलाकर 78.88 लाख रुपये की धनराशियाँ पहले ही नियत की जा चुकी हैं। 1969-70 से 1971-72 तक पुस्तकालय-सुविधाएँ बढ़ाने के लिए जो अनुदान दिये गये, उनका ब्यौरा यों है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये	
	पुस्तकालय-भवन	किताबें और पत्र-पत्रिकाएं
1969-70	19.08	167.93
1970-71	13.87	140.66
1971-72	19.43	96.96

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में—जिसके अन्तर्गत औषध-निर्माण-विज्ञान तथा प्रबंध-अध्ययन भी शामिल हैं—शिक्षा तथा अनुसंधान की नींव मजबूत करने और उनके विकास के लिए आयोग विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता रहा। 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि में आयोग ने इस मद्दे जो खर्चा किया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

खर्च की मदें	1969-70	1970-71	1971-72
अध्यापक-वर्ग और रख-रखाव	50.03	51.27	51.07
भवन	80.08	38.20	30.22
किताबें और पत्र-पत्रिकाएं	31.46	26.47	17.78
उपकरण	63.03	44.55	53.03
छात्रवृत्तियाँ	34.44	23.81	37.89
विविध योजनाएं	9.09	2.06	0.78
जोड़	268.13	186.36	190.77

और बातों के अलावा इन बातों के लिए भी सहायता दी गई : पाठ्यक्रमों में विविधता लाने के लिए, नई दिशाओं में विशेष अध्ययन के लिए, अनुसंधान-कार्यक्रमों, रासायनिक इंजीनियरी, औषध-निर्माण-विज्ञान तथा व्यापार-प्रबंध के पाठ्यक्रमों के लिए, मौजूदा सुविधाएं बढ़ाने तथा छात्रवृत्तियों आदि के लिए। भारतीय-विज्ञान-संस्थान (इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस) बंगलोर को रडार-संचार-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के निमित्त प्रयोगशाला की जगह के लिए तथा आवास-व्यवस्था के लिए 23.74 लाख रुपये की रकम अनावर्ती अनुदान के रूप में दी गई। आँध्र, अन्नमलाइ, बंगलोर, जोधपुर, उस्मानिया, मद्रास तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों को भी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों के विकास के लिए अनुदान दिये गये। प्रबंध-अध्ययन के विकास के लिए इलाहाबाद, केरल, मद्रास तथा मदुरै एवं पंजाबी विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई। आयोग ने जादवपुर विश्वविद्यालय को अपने औषध-निर्माण-विज्ञान-पाठ्यक्रम के विकास के लिए सहायता देना भी मंजूर किया है।

ऊपर जिन अनुदानों का उल्लेख किया गया है उनके अलावा विश्वविद्यालयों को कई और कार्यक्रमों के लिए भी सहायता दी गई। इनकी चर्चा नीचे की जा रही है :

(i) विश्वविद्यालय-विभागों को विशेष सहायता कार्यक्रम

आयोग पहले 27 चुने हुए विश्वविद्यालय-विभागों को इस बात के लिए विशेष सहायता देना मंजूर कर चुका था कि वे स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में अपने कार्य का स्तर ऊंचा उठायें और विशेषीकृत अध्ययनों तथा बहु-विषय-पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दें। जिन विशेषज्ञ-समितियों ने इन विभागों का मुआयना किया उनकी सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 26 विभागों को उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के रूप में 1.75 करोड़ रुपये के अनुदान देने की स्वीकृति दी। इन विभागों में कुल मिलाकर 14 नये प्रोफेसर, 49 रीडर, 43 प्राध्यापक तथा रिसर्च एसोसिएट और 125 प्रवर एवं अवर रिसर्च-फैलो नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। इन विभागों से कहा गया हैं कि वे अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए विशेषज्ञ-समिति नियुक्त करें। यह तय हुआ है कि आवर्ती सहायता पहले-पहल पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। उसके बाद स्थिति का लेखा-जोखा होगा। इस योजना पर अमल करने के बारे में समय-समय पर आयोग को सलाह-मशविरा देने के वास्ते एक स्थायी समिति नियुक्त करने का भी फैसला किया गया है। उक्त समिति आयोग की इस विशेष-सहायता-योजना का विस्तार करके और विभागों को उस दायरे में लाने के बारे में भी सुझाव दिया करेगी।

(ii) अध्यापक-शिक्षा एवं अनुसंधान का विकास

विश्वविद्यालयों को उनके विकास-कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना के अधीन जो धनराशियाँ नियत की गई थीं, आयोग उनसे अलग और उनके अलावा विश्वविद्यालयों के

शिक्षा-विभागों को वित्तीय सहायता देता रहा है। इस सहायता का मंशा यह है कि अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये और उसका स्तर ऊंचा उठाया जाये। विश्वविद्यालयों मे इस बारे में जो सुझाव आते हैं, आयोग द्वारा नियुक्त मुआयना-समितियाँ उनकी जाँच-परख करती हैं। 1971-72 में आयोग ने दस विश्वविद्यालयों को उनके अध्यापक-शिक्षा-कार्यक्रमों के लिए 35.57 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना मंजूर किया।

बंगलोर तथा पूना-विश्वविद्यालयों को भी क्रमशः एक ग्रीष्म-संस्थान और एक गोष्ठी आयोजित करने के लिए सहायता की मंजूरी दी गई।

अभी तक आयोग द्वारा नियुक्त मुआयना-समितियों ने अध्यापक-शिक्षा के विकास के लिए 29 विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की जाँच-पड़ताल की है। इनकी सिफारिशों को आयोग ने जिस रूप में स्वीकार किया उसके अनुसार उक्त विश्वविद्यालयों को 109.58 लाख रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(iii) स्नातकोत्तर अध्ययन के विश्वविद्यालय-केन्द्र

आयोग का यह मत है कि समुचित शिक्षा-स्तर बनाये रखने में इस बात से आम तौर पर सहायता मिलती है कि संबद्ध विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में, तथा पास-पड़ोस के कालेजों के सहयोग-सहायता से, उपयुक्त स्थानों पर स्नातकोत्तर-अध्ययन-केन्द्रों का विकास किया जाये। इस समय जो उच्चतर अध्ययन-केन्द्र विद्यमान हैं और जिन-जिन विषयों में वे शिक्षा दे रहे हैं, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

केन्द्र	विषय
अनन्तपुर (श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय)	भौतिकी, गणित, रसायन, अंग्रेजी और तेलुगु।
कोयंबटूर (मद्रास विश्वविद्यालय)	भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति-प्राणिविज्ञान, भूगोल, सांख्यिकी, अर्थ-शास्त्र, अंग्रेजी, समाज-कार्य, तथा गृहविज्ञान (जीव-रसायन एवं पोषण-विज्ञान)।
गुंटूर (आंध्र विश्वविद्यालय)	भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, तेलुगु तथा अंग्रेजी।

केन्द्र	विषय
गुलबर्गा (कर्नाटक विश्वविद्यालय)	रसायन, गणित, कन्नड़, तथा अंग्रेजी ।
मंगलोर (मैसूर विश्वविद्यालय)	भौतिकी, गणित, कन्नड़, जैवविज्ञान तथा वाणिज्य ।
रोहतक (पंजाब विश्वविद्यालय)	भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र ।
तिरुचिरापल्लि (मद्रास विश्वविद्यालय)	भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणीविज्ञान, भूविज्ञान, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र ।
वारंगल (उसमानिया विश्वविद्यालय)	भौतिकी, रसायन, वनस्पतिविज्ञान, प्राणीविज्ञान, गणित, वाणिज्य, सार्वजनिक प्रशासन, तेलुगु तथा अंग्रेजी ।

आयोग पहले ही यह मंजूर कर चुका था कि हर स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र के विकास के लिए 20-20 लाख रुपये के अनुदान दिये जायें । बाद में यह तय किया गया कि अध्यापकों के वास्ते आयोग की सहायता 1973-74 तक के लिए बढ़ा दी जाये । अब इस मामले पर और विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि 1973-74 तक की अवधि के लिए हर स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र के निमित्त आयोग की सहायता की राशि 20 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रु० कर दी जाये ।

बिहार-विश्वविद्यालय ने सी० एम० कालेज, दरभंगा तथा राजेंद्र कालेज, छपरा में स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव भेजा था किन्तु दुर्भाग्य से आयोग उसे स्वीकार करने में असमर्थ रहा । आयोग चाहता है कि विश्वविद्यालय पहले अपने स्नातकोत्तर-अध्ययन-विभागों का विकास करे ।

विश्वविद्यायल-अनुदान-आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति बम्बई विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में गोवा में स्थापित स्नातकोत्तर- अध्ययन-केन्द्र का मुआयना करने के लिए गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि चौथी योजना में विकास के लिए उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं । उक्त समिति की सिफ़ारिशों पर, आयोग ने इस केन्द्र को 1973-74 में समाप्त होने वाली चौथी योजना की अवधि के लिए अधिक-से-अधिक 20 लाख रुपये तक का अनुदान देने का निश्चय किया ।

(iv) वयस्क-शिक्षा

आयोग इस बात के लिए पहले ही राजी हो गया था कि चौथी योजना की शेष अवधि में वयस्क अथवा अनुवर्ती शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को आनुपातिक आधार पर

सहायता दी जाये जिसमें 75 प्रतिशत हिस्सा आयोग का रहे तथा 25 प्रतिशत संबद्ध विश्व-विद्यालय का। इसमें एक शर्त यह थी कि किसी भी विश्वविद्यालय को तीन लाख रु० से अधिक रक़म न दी जाये। वयस्क-शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में एक नोट भी विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजा गया। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों अथवा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली निम्नलिखित संस्थाओं से प्राप्त सुझाव आयोग ने स्वीकार कर लिए।

(क) बंबई विश्वविद्यालय
(ख) गोविन्दवल्लभ पंत कृषि-विश्वविद्यालय
(ग) गुजरात विश्वविद्यालय
(घ) बड़ौदा विश्वविद्यालय (एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा)
(ङ) सरदार पटेल विश्वविद्यालय
(च) एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बंबई
(छ) दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
(ज) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
(झ) जामिया मिलिया इसलामिया

(v) पत्राचार-पाठ्यक्रम

शिक्षा-मंत्रालय ने पत्राचार-पाठ्क्रमों के बारे में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी और उसने यह राय जाहिर की थी कि किसी-न-किसी रूप में इस प्रकार के पाठ्क्रमों का सहारा लिए बिना देश की विराट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पत्राचार पद्धति से शैक्षणिक अवसरों का विस्तार होता है और शिक्षा पर खर्चा घटता है। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने भी यही सिफारिस की थी कि पत्राचार-पाठ्क्रमों का भरसक अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय को पत्राचार-पाठ्क्रम शुरू करने के लिए आयोग जो सहायता देता है वह सीमित होती है। वह पाँच लाख रुपये तथा वास्तविक घाटे में जो भी रक़म कम होती है, चार वर्ष की अवधि के लिए उतनी ही सहायता देता है। जिन विश्वविद्यालयों ने विभिन्न स्तरों पर पत्राचार-पाठ्यक्रम शुरू किये है। उनके बारे में नीचे सूचना दी जा रही है।

विश्वविद्यालय का नाम	कौन-से पत्राचार-पाठ्यक्रम हैं
दिल्ली विश्वविद्यालय	बी० ए० (पास), बी० एस-सी० (सामान्य) ग्रुप-ए, बी० काम० (पास)
राजस्थान विश्वविद्यालय	बी० काम० (पास), एम० ए०

विश्वविद्यालय का नाम	कौन-से पत्राचार-पाठ्यक्रम हैं
पंजाब विश्वविद्यालय	प्री-यूनिवर्सिटी, बी० ए०
मैसूर विश्वविद्यालय	प्री-यूनिवर्सिटी, बी० ए०
मेरठ विश्वविद्यालय	बी० ए०
मदुरै विश्वविद्यालय	बी० ए०
बंबई विश्वविद्यालय	इंटर-आर्ट्स, इंटर-कामर्स
पंजाब विश्वविद्यालय	प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम
आन्ध्र विश्वविद्यालय	बी० ए० बी० काम०
हिमाचल प्रदेश	प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम, बी० ए०, एम० ए०, बी० एड०, एम० एड०
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	बी० ए०

(vi) ग्रंथ-निर्माण

आयोग ऐसे मानक ग्रंथों के सस्ते संस्करणों के पुनः प्रकाशन को बढ़ावा देता रहा है जो मूलतः अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत रूस में छपे हों। प्रस्तावित ग्रंथों का पहले विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है और तब आयोग इस विषय में मंत्रालय को यथोचित सिफारिशें भेजता है। 1970-71 तक सस्ते संस्करणों में पुनः प्रकाशन के लिए मंत्रालय को लगभग 1,500 ग्रंथों के नामों की सिफारिश भेजी गई थी। 1971-72 में विशेषज्ञों ने 90 किताबों का मूल्यांकन किया और उन्होंने इनके बारे में जो सिफारिशे दीं वे मंत्रालय को भेज दी गई। ग्रंथ-निर्माण की इमदादी योजना के अधीन पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए आयोग नेशनल बुक ट्रस्ट की भी सहायता करता रहा है।

शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के साथ परामर्श करके आयोग ने विश्वविद्यालय-स्तर की उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना के लिए सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए 500-500 रु० पति माह की अधिवृतियाँ दी जाती है। प्रत्येक अधिवृत्ति के साथ आनुषंगिक व्यय के लिए 2,000 रु० प्रति वर्ष अलग दिया जाता है। जिन अध्येताओं को ये अधिवृतियाँ दी जाती है उन्हें लब्ध प्रतिष्ठ विश्वविद्यालय-अध्यापकों के साथ मिल कर काम करना होता है। 1970-71 में इस योजना के अंतर्गत 73 परियोजनाएँ स्वीकार की गई थीं। 1971-72 में, इस प्रकार की जो परियोजनाएँ स्वीकार हुई उनकी संख्या 121 है।

(vii) अनुरक्षण-अनुदान-केन्द्रीय विश्वविद्यालय

जो विश्वविद्यालय किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित हुए हैं, उन्हें आयोग विकास-अनुदान के अतिरिक्त अनुरक्षण के लिए भी धनराशि देता है।

1971-72 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो अनुरक्षण अनुदान दिए गये उनका विवरण इस प्रकार है ।

(आँकड़े लाख रुपयों में)

विश्वविद्यालय	जो अनुदान दिये गये
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	214.20
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	280.47
दिल्ली विश्वविद्यालय	132.30
विश्वभारती	65.33
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	
(क) अंतराष्ट्रीय अध्ययन-पीठ (स्कूल आफ़ इंटरनेशनल स्टड्डीज)	13.00
(ख) रूसी अध्ययन-पीठ (स्कूल आफ़ रशन स्टड्डीज)	6.50
जोड़	711.80

इसके अलावा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेजों के साथ जो अस्पताल जुड़े हैं, उनके रखरखाव के लिए नौ लाख रुपये की रक़म अलग से दी गई ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अनुरक्षण-व्यय 'योजना' की धनराशि में से किया जाता है । 1971-72 में इस काम के लिए विश्वविद्यालय को 19 लाख रुपये की रक़म दी गई ।

1971-72 में परिसर (कैंपस) विकास से संबन्धित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 7.60 लाख रुपये की रकम दी गई ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में काम करने वालों को उसी आधार पर अंतरिम राहत और अतिरिक्त अंतरिम राहत दी गई जिस आधार पर उनके समानांतर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई ।

(viii) अनियत अनुदान

कई अनुमोदित कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए विश्वविद्यालयों को 1971-72 में कुल मिलाकर 22.59 लाख रुपये के अनियत अनुदान दिये गये । ये अनुदान आयोग से पूछे

बिना विश्वविद्यालय अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकते है। अनियत अनुदान और बातों के अलावा इन प्रयोजनों के लिए होते हैं।

(क) शिक्षकों के विनिमय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय-अध्यापकों के विस्तार-कार्य के लिए;

(ग) देश के अनुसंधान-केन्द्रों में जाने-आने के वास्ते अध्यापकों तथा अनुसंधाताओं को यात्रा-अनुदान देने के लिए;

(घ) भारत में संगोष्टियों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा-अनुदान देने के वास्ते;

(ङ) अध्यापन-सामग्री तथा साधन-जुटाने तथा उनका विकास करने के लिए;

(च) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को यात्रा-अनुदान देने के वास्ते।

विश्वविद्यालयों के दफतरों में आयोग-एकक बनाये रखने पर जो खर्चा होता है, एक नियत हद तक वह अनियत अनुदानों में से किया जा सकता हैं। आयोग कई विश्वविद्यालयों में शत प्रतिशत आधार पर विकास-अधिकारी नियुक्त करने में उनकी सहायता करने के लिए भी राजी हो गया है। इस मद्दे जो खर्चा होगा वह चौथी योजना के अंतर्गत किये गये नियतयों से अलग होगा। चौथी योजना की अवधि के अंत में जब आयोग की सहायता बंद हो जायगी तब विकास अधिकारियों के पद ज्यों-के-त्यों बनाये रखने की जिम्मेदारी विश्व-विद्यालय अपने ऊपर ले लेंगे।

(ix) प्रकाशन अनुदान

आयोग 1972-73 में समाप्त होने वाली योजना-अवधि में अनुसंधान-कृतियों तथा शोध-ग्रंथों के प्रकाशन के लिए 77 विश्वविद्यालयों को (जिनमें विश्वविद्यालय मानी जाने आली संस्थाएं भी शामिल हैं) 29.55 लाख रु० के अनुदानों की स्वीकृति पहले ही दे चुका है। ये अनुदान शत-प्रतिशत आधार पर दिये जाते हैं और विश्वविद्यालय अपनी आवश्यक-ताओं और अपेक्षाओं के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेज भी इस योजना के फायदे उठा सकते हैं। 1971-72 में, विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत 1.57 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

(x) क्षेत्रीय अध्ययन

चूंकि भारत के कई अन्य देशों के साथ बड़े निकट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, इसलिए ऐसे भारतीय विद्वानों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है

जिन्हें विभिन्न प्रदेशों के जीवन, संस्थाओं, संस्कृति और भाषओं का विशेषीकृत ज्ञान हो। क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के अधीन, आयोग विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसे केन्द्र विकसित करना चाहता है जो विशिष्ठ क्षेत्रों के बारे में विशेषीकृत अध्ययन और अनुसंधान-कार्य कर सके। इस कार्यक्रम का मंतव्य यह है कि संबद्ध क्षेत्रों की भाषाओं में गहन पाठ्क्रमों की और अंतर्विषय सहयोग की व्यवस्था हो—विशेषत: सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग की सहायता के लिए निम्नलिखित केन्द्र चुने गये हैं।

विश्वविद्यालय	विशेषीकरण का क्षेत्र
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	पश्चिम एशियाई अध्ययन
बंबई विश्वविद्यालय	पूर्वी अफ्रीका तथा सोवियत संघ संबंधी अध्ययन
दिल्ली विश्वविद्यालय	(क) पाकिस्तान संबंधी अध्ययन (ख) चीनी तथा जापनी अध्ययन (ग) अफ्रीकी अध्ययन
जादवपुर विश्वविद्यालय	दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पाकिस्तान संबंधी अध्ययन
मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण-एशियाई अध्ययन
पूना विश्वविद्यालय	लेटिन अमरीका संबंधी अध्ययन
राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	इंडोचीन संबंधी अध्ययन

विश्वविद्यालय जो अध्ययन कार्य अपने जिम्मे ले रहे हैं उसके लिए उन्हें शत प्रति-शत आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है 1971-72 में और प्रस्तावों के साथ साथ लेटिन-अमरीकी अध्ययन के विकास के बारे में पूना विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव भी मंजूर किया गया जिस पर अनुमानत: 3.95 लाख रुपये का व्यय होगा। दक्षिण-एशिया में राजनीतिक विकास पर एक परिचर्चा आयोजित करने के बारे में राजस्थान विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया।

(xi) पुरातत्त्व-कक्ष

आयोग छह विश्वविद्यायों को अपने पुरातत्त्व-कक्षों के लिए अपेक्षित कर्मचारी रखने के वास्ते सीमित सहायता देने को राजी हो गया है। आयोग यह सहायता 1973-74 में समाप्त होने वाली चौथी योजना की अवधि के लिए शत-प्रतिशत आधार पर देगा।

(xii) जयन्ती समारोह

आयोग महान् विभूतियों की जयंतियाँ मनाने के लिए 500 रु० तक के हिसाब से योगदान देने को राजी हो गया है।

देशबंधु सी० एफ० एंड्यूज की जन्म-शताब्दी मनाने के लिए आयोग ने विश्वभारती को 10,000 रु० की धनराशि दी और मौजूदा पुस्तकालय-सुविधाएँ बढ़ाने के लिए 5,000 रु० की रकम दिल्ली के सेंट स्टीफंस कालेज को दी।

आयोग ने भारत-सरकार के इस सुझाव का स्वागत किया कि श्री अरविंद की स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाये। इस कार्य के लिये आयोग को तीन लाख रु० की स्थाई निधि प्राप्त हो जायेगी। एक समिति की सिफारिश पर तय किया गया कि अगस्त, 1972 में स्मृति व्याख्यान के लिए श्री अरविंद बसु को आमंत्रित किया जाये।

उच्चतर अध्ययन-केन्द्र

विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कर्ष की साधना को गति देने तथा स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान-स्तरों पर शैक्षणिक उपलब्धियों को स्तर और गुणता के उन्नयन के लिये आयोग ने जो एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, वह है विश्वविद्यालयों में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना और उनके विकास का कार्यक्रम। आयोग ने 30 विश्वविद्यालय-विभागों को उनके काम, मौजूदा सुविधाओं तथा भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के रूप में काम करने के लिए चुना है और उन्हें विशेष सहायता देता रहा है। परिशिष्ट IX में उच्चतर अध्ययन केन्द्रों की सूची दी गई है और उनके विशेषीकरण-क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। 1973-74 में समाप्त होने वाली चौथी योजनावधि के लिए इन केन्द्रों के विकास कार्यक्रमों की जाँच पड़ताल आयोग द्वारा नियुक्त समितियाँ पहले कर चुकी है और इन केन्द्रों के लिए 4.71 करोड़ रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधाएँ बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक तथा शैक्षणिकेतर कर्मचारियों के लिए, छात्रवृत्तियों तथा अधिवृत्तियों की व्यवस्था करने के लिए तथा शोध प्रबंध एवं शोध लेख आदि के प्रकाशन के लिए केन्द्रों को शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। 1971-72 में इन केन्द्रों को कुल मिला कर 85.05 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

इन केन्द्रों में कुछ थोड़े से अध्यापक आदि तो स्थाई हैं परन्तु एक काफी बड़ी तादाद ऐसे विद्वानों की है जो देश के अन्य विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से प्रतिनियुक्त हो कर आये हैं। इनमें कुछ विद्वान विदेशों के भी हैं। केन्द्रों को अभ्यगत-अधिवृत्तियाँ भी दी गई हैं ताकि वे देश-विदेश के वैज्ञानिकों और विद्वानों को आमंत्रित कर सकें। इन केन्द्रों की ओर से और जो अधिवृत्तियाँ मिलती हैं उनकी वजह से वे देश के विभिन्न भागों से मेधावी छात्रों एवं अध्यापकों को आकर्षित करने में सफल होते हैं।

उच्चतर अध्ययन-केन्द्र विशेषीकृत विषयों पर गोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन करते रहे और उन्होंने अनेक प्रकाशन भी प्रस्तुत किये। बंबई, पंजाब, मद्रास और कलकत्ता-विश्वविद्यालयों में गणित के उच्चतर अध्ययन-केन्द्र पहले की तरह संबद्ध कालेजों के चुने हुए अध्यापकों को एक शैक्षणिक वर्ष केन्द्र में बिताने के लिए आमंत्रित करने का कार्यक्रम चलाते रहें ताकि वे अपनी क्षमता भी बढ़ा सकें और उन्हें अनुसंधान में दीक्षित भी किया जा सके। बड़ौदा विश्वविद्यालय (एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा) में शिक्षा शास्त्र के उच्चतर अध्ययन केन्द्र ने भी इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। उच्चतर वनस्पति विज्ञान अध्ययन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, में नवंबर,1971 में वनस्पति कोशिका, ऊतक तथा अंग संवर्धन में संरचना विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। चौथा कोशिका जैविकी सम्मेलन दिसंबर, 1971 में उच्चतर प्राणिविज्ञान अध्ययन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। उच्चतर जीवरसायन अध्ययन केन्द्र ने भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टिट्यट ऑफ साइंस) बंगलोर में दिसंबर 1971 में लिपिडों पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया। 'अद्वैत एवं पाश्चात्य विचार धारा पर दसवीं अखिल-भारतीय गोष्ठी तथा 'ईश्वर की संकल्पना' पर ग्यारहवीं अखिल भारतीय गोष्ठी क्रमशः अगस्त, 1971 तथा मार्च, 1972 में उनका दर्शन-अध्ययन-केन्द्र मद्रास विश्वविद्यालय, में सम्पन्न हुई। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, मद्रास विश्विद्यालय तथा विश्वभारती के तीनों उच्चतर दर्शन अध्ययन केन्द्रों ने एक दूसरे के सहयोग-सहायता से भी गोष्ठियों का आयोजन किया।

हर उच्चतर अध्ययन केन्द्र की अपनी एक सलाहकार-समिति होती है जिसके सदस्यों में कुलपति, केन्द्र के प्रोफेसर तथा बाहर के विशेषज्ञ होते हैं। यह समिति समय-समय पर केन्द्र के कार्यक्रम पर सोच विचार करती है। आयोग ने केन्द्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए तथा चौथी योजना की अवधि के बाद भी केन्द्रों को वित्तिय सहायता देने का सवाल पर विचार करने के लिए मूल्यांकन समितियाँ नियुक्त करने का फैसला किया है।

उच्चतर अध्ययन केन्द्रों के अध्यापन तथा अनुसंधान-कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को पहले की ही तरह इस वर्ष भी सहायता देता रहा है। यह सहायता विशेषतः रूस से मिली उपकरण, विशेषज्ञ-सेवाओं तथा रूस में भारतीय विद्वानों के प्रशिक्षण के रूप में। 1972-78 के बीच उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के निमित्त यूनेस्को सहायता के बारे में भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। भारत को यूनेस्को की समग्र सहायता के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए 18.05 लाख डालर की व्यवस्था की है। 1971-72 में यूनेस्को के चार सलाहकारों ने छह उच्चतर अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण किया और इन केन्द्रों में छह 'फेलों' विशेषीकृत अध्ययन तथा प्रशिक्षण के लिए विदेश गये। इस वर्ष 90,000 डालर के मूल्य के उपकरण बाहर से आये। परियोजना समन्वयकार के रूप में प्रो० आई० एस० वाशाकिजे के स्थान पर मास्को-विश्वविद्यालय के खगोलिकी-संस्थान के प्रोफेसर तथा वाइस-प्रो-रेक्टर प्रोफेसर एन० पी० ग्राउशिस्की की सेवाएँ उपलब्ध कराई गई। प्रो० वाशाकिजे अपना कार्यकाल समाप्त होने पर जुलाई 1971 में भारत से वापस चले गये थे।

यूनेस्को के वैज्ञानिक-अनुसंधान-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डिविजन के निर्देशक डा० वी० परेल 1971 में भारत आये थे। उनकी इस यात्रा के फलस्वरूप उच्चतर वनस्पति विज्ञान अध्ययन केन्द्र मद्रास विश्वविद्यालय में क्रियात्मक पादप रोग विज्ञान पर एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। उच्चतर भूविज्ञान-अध्ययन-केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय में एक आल्पकालिक पाठ्क्रम आयोजित करने तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स), बंगलोर में एक कम्प्यूटर-विज्ञान-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में भी कदम उठाये गये है। डा० परेल जब भारत आये थे तब एक स्मरण-पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें कहा गया था कि भारत में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के जो केन्द्र हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें एशिया में मूल विज्ञानों से संबंधित प्रादेशिक गति विधियों के विकास के लिए उपयुक्त स्थान माना जा सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों में समय-समय पर दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन, अपने-अपने फेलों एक दूसरे के यहाँ भेजना तथा वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान और सम्मिलित अनुसंधान-कार्यक्रम का आयोजन आदि बाते शामिल हो सकती है। उसमें कहा गया था कि यूनेस्को इस प्रकार की गतिविधियों को अपना समर्थन-सहयोग देगा और कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।

कई उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों को ब्रिटिश सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ हुआ। 19 ब्रिटिश अध्येता एवं वैज्ञानिक भारती उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में आये और 22 भारतीय वैज्ञानिक एवं अध्येता उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए ब्रिटेन गये। एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के साथ बातचीत और विचार विनिमय के दौरान इस बात पर सहमति व्वक्त की कि अगर भारत और ब्रिटेन में और अधिक ऐसे विश्वविद्यालय विभाग तथा केन्द्र निर्धारित किये जा सकें जिनकी विशेष क्षेत्रों और दिशाओं में समान रुचि हो तो शैक्षिणिक सहयोग कहीं अधिक लाभप्रद हो सकता है। इस प्रतिनिधि मंडल में ब्रिटिश काउंसिल, तथा 'ओवरसीज डेवेलपमेंट आर्गनाइजेशन' के प्रतिनिधि शामिल थे और इसके नेता थे 'इंटर-यूनिवर्सिटी काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ओवरसीज' के अध्यक्ष।

विश्वविद्यालयों में जो ब्रिटिश उपकरण हैं उनके पुर्जे आदि का आयात करने के बारे में कोलंबो-योजना के अंतर्गत सुझाव मांगे गये हैं।

कालेजों को सहायता

इस देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कालेजों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। ज्यों-ज्यों उच्चतर शिक्षा की माँग बढ़ती गई है त्यों-त्यों कालेजों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ती गई है। पिछले पांच वर्ष की अवधि में—यानी 1967-68 से 1971-72 तक—लगभग 1,000 नये कालेज अस्तित्व में आये। 1967-68 में कालेजों की कुल संख्या 2,899 थी, 1971-72 में यह संख्या बढ़कर 3,896 हो गई। कला विज्ञान तथा वाणिज्य के क्षेत्र में इस अवधि में 744 नये कालेज खुले। शिक्षा शास्त्रीय कालेजों की सख्या में 67

की बढ़ोतरी हुई और आयुर्विज्ञान के (जिसमें फार्मेसी, परिचर्या तथा दंतचिकित्सा शामिल हैं) कालेजों की संख्या में 45 की वृद्धि हुई। कालेजों की संख्या की वृद्धि का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

विश्वविद्यालय-विभागों में (जिसमें विश्वविद्यालय-कालेज भी शामिल हैं) कुल मिलाकर 3.33 लाख छात्रों की भरती हुई जबकि संबद्ध कालेजों में छात्रों की भरती की संख्या 25.09 लाख थी। इसका मतलब यह हुआ कि समीक्षाधीन वर्ष में कुल छात्र-संख्या में से 88.3 प्रतिशत छात्र संबद्ध कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विज्ञान, वाणिज्य, तथा आयुर्विज्ञान में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में 90 प्रतिशत से अधिक छात्र संबद्ध कालेजों में थे। स्नातक-स्तर के 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों की तथा स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान-स्तर के क्रमशः 49.3 और 11.1 प्रतिशत छात्रों की भरती, संबद्ध कालेजों में हुई। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में संकायवार और स्तरवार जितने-जितने छात्रों की भरती हुई उनकी संख्या का विवरण परिशिष्ट X तथा XI में दिया गया है।

1971-72 में संबद्ध कालेजों में अध्यापकों की सख्या 1,16,362 थी और विश्व-विद्यालय-विभाग में (जिनमें विश्वविद्यालय-कालेज भी शामिल है) 22,842 इसका मतलब यह हुआ कि समीक्षाधीन वर्ष में कुल अध्यापकों में से 85 प्रतिशत के लगभग संबद्ध कालेजों में काम कर रहे थे। विश्वविद्यालय-विभागों तथा संबद्ध कालेजों में अध्यापकों की संख्या कितनी-कितनी थी और उनका वितरण किस-किस तरह से था, इसका ब्यौरा परिशिष्ट VI और VII में दिया गया है। ऊपर जो तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे साफ जाहिर है कि देश में उच्चतर शिक्षा की वर्तमान पद्धति के अंतर्गत कालेजों का परम महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः कालेजों में शिक्षा का स्तर और गुणता सुधारने-बढ़ाने की आवश्यता स्वतः स्पष्ट हो जाती है और यह भी जाहिर है कि आवश्यक कदम तत्काल उठाये जाने चाहिए। भारत में तो कालेज अपने स्तर जिस तरह के बनाये रहेंगे उच्चतर शिक्षा का स्वरूप बहुत-कुछ उसी के अनुरूप होगा।

आयोग विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन कालेजों को सहायता देता रहा है। 1966-67 में कालेजों को कुल मिलाकर 1.49 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये थे। 1971-72 में कालेजों को दी जाने वाली अनुदान-राशि बढ़कर 9 करोड़ रु० हो गई। आयोग कालेजों को जो सहायता देता है उसमें विकास की नानारूप आवश्यकताओं को देखते हुए विविधता का समावेश कर दिया गया है और यह सहायता पहले से प्रायः छह गुनी कर दी गई है। 1971-72 के खर्चे का एक काफी बड़ा हिस्सा पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधाओं के लिए—जिसमें वैज्ञानिक उपकरण में मांगना भी शामिल है, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए और कालेजों में विज्ञान-शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए था। कालेजों को दिये गये विकास-अनुदानों का विवरण परिशिष्ट (XII) में दिया गया है।

कालेजों के विकास से संबंधित मामलों पर एक स्थायी सलाहकार समिति विचार करती है। यह समिति आयोग ने इसी काम के लिए बनाई है। इस समिति की सलाह और सिफारिशों के अनुरूप कालेजों को सहायता देने के कार्यक्रम को मजबूत किया गया है और उसे विविधता प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा नियुक्त समितियाँ राजस्थान, केरल, कालीकट, बरहामपुर, संबलपुर तथा उत्कल विश्वविद्यालयों के गैर-व्यावसायिक कालेजों का दौरा कर चुकी हैं।* इन कालेजों को किन-किन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—इसका अध्ययन इन समितियों ने किया है; और कालेजों में शिक्षा के स्तर तथा गुणता के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाये जायें—इस बारे में सुझाव भी दिये हैं। इन समितियों की रिपोर्टें संबद्ध राज्य-सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को दी गई हैं।

स्नातकोत्तर अध्ययन

आयोग स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। अतिरिक्त अध्यापकों के लिए, कक्षाओं के वास्ते आवश्यक जगह के लिए, पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधाओं आदि के लिए आनुपातिक आधार पर अनुदान दिये जाते हैं और उनकी अधिकतम सीमा नियत होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग जो सहायता देता है उसमें पहले काफी वृद्धि की जा चुकी है। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए चौथी योजनावधि के अंतर्गत आयोग की सहायता की राशि 1,00,000 रु० से बढ़ाकर 1,50,000 रु० कर दी गई है (इसमें पहले की योजनावधि से चली आती हुई परियोजनाओं से संबंधित भुगतान भी शामिल हैं)। वैज्ञानिक विषयों के स्नातकोत्तर विभागों के लिए प्रत्येक कालेज के वास्ते आयोग का अनुदान भौतिकी और रसायन में से हरेक के लिए 1,00,000 रु० से बढ़ाकर 1,50,000 रु० कर दिया गया; वनस्पतिविज्ञान, जीवरसायन, गृहविज्ञान तथा भूविज्ञान में से प्रत्येक के लिए 75,000 रु० से बढ़ाकर 1,00,000 रु० कर दिया गया; तथा मानवविज्ञान, भूगोल और गणित (जिसमें सांख्यिकी भी शामिल है) में से प्रत्येक के लिए 50,000 रु० से बढ़ाकर 75,000 रु० कर दिया गया। आयोग भवनों तथा अतिरिक्त अध्यापकों के निमित्त स्वीकृत खर्च का आधा हिस्सा देता है और उपकरण तथा किताबों के स्वीकृत खर्च का तीन चौथाई। आयोग इस बात का आश्वासन जरूर चाहता है कि जब इस प्रयोजन के लिए आयोग से मिलने वाली सहायता बंद हो जायेगी तो इस योजना के अंतर्गत जो भी नई जगहें बनाई जा रही हैं, वे बनी रहेंगी और संबद्ध कालेज उनका खर्चा स्वयं उठाते रहेंगे।

---

*1972-73 में (नवंबर, 1972 तक) हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर के कलेजों का और मणिपुर में स्थित कालेजों का दौरा भी आयोग की समितियाँ कर चुकी थीं।

1971-72 में, आयोग ने 16 कालेजों के ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किये जिनके अधीन उनमें 22 नये स्नातकोत्तर विज्ञान-विभाग खोले गये और इसी सिलसिले में उनके लिए 14.13 लाख रु० के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। चौथी योजना की अवधि में विज्ञान-विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत जितने कालेजों को सहायता दी गई उनकी संख्या अब बढ़कर 120 तक पहुंच गई है। इस कार्यक्रम के अधीन आयोग के अनुदानों से कालेजों में 296 स्नातकोत्तर विज्ञान-विभागों के विकास में सहायता मिलेगी।

समीक्षाधीन वर्ष में मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के बारे में 13 कालेजों के प्रस्ताव मंजूर किये गये। चालू योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने कालेजों को सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है, उनकी संख्या अब 107 हो गई है।

संबद्ध कालेजों को इस सहायता की राशि किस्तों में अदा की जाती है और इस सिलसिले में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आयोग की स्वीकृतियों के अन्तर्गत कितना काम हुआ है और कितना खर्चा किया गया है। 1971-72 में, विज्ञान-विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए जो धनराशियाँ दी गई वे कुल मिलाकर 15.99 लाख रुपये की थीं और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए 7.58 लाख रु० थीं।

सामान्य सुविधाएं

कालेजों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए जो अनुदान दिये जाते हैं, उनके अलावा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भी, नियत हिस्सेदारी के आधार पर, सहायता दी जाती है—जैसे पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए, किताबों तथा उपकरण खरीदने के लिए कक्षाओं के वास्ते अतिरिक्त स्थान का प्रबन्ध करने के लिए, अनावासी छात्र केन्द्रों के लिए तथा अध्यापकों और छात्रों के आवास की व्यवस्था के लिए, सामान्य सुविधाओं के लिए किसी भी कालेज को 1966-67 से 1973-74 तक की अवधि में अधिक से अधिक 3,00,000 रु० तक की सहायता दी जा सकती है। इसमें वे अनुदान भी शामिल हैं जो पहले की योजनावधि से चली आने वाली परियोजनाओं के लिए दिये गये हैं या दिये जाने वाले हैं। कुछ खास सूरतों में, तीन लाख की वित्तीय सीमा के ऊपर भी एक लाख रुपये तक की और सहायता दी जा सकती है इसका निर्धारण कालेज-विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। यह देखा जाता है कि उसने जो विकास-प्रस्ताव रखे हैं उनकी क्या खूबियाँ हैं और यह भी कि उसने अपने विकास-कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में क्या प्रगति की है। इसके अंतर्गत भी विविध परियोजनाओं के लिए वही नियत हिस्सेदारी का आधार मान्य होता है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के सहारे बहुत-सारे कालेजों ने अपनी वर्तमान सुविधाएं बढ़ाने में और उन्हें विस्तार देने में सफलता पाई है। 1970-71 और 1971-72 में आयोग ने जो

विविध परियोजनाएं मंजूर कीं उनके बारे में आवश्यक जानकारी नीचे की सारिणी में दी जा रही है :

(आँकड़े लाख रुपयों में है)

परियोजना	1970-71		1971-72	
	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान
1. अध्यापन-कक्ष, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाएं	214	183.14	349	352.58
2. छात्रावास	59	81.84	75	133.37
3. अध्यापकावास/अध्यापकों के लिए क्वार्टर	15	16.53	181	217.00
4. अनावासी छात्र-केन्द्र	42	15.66	68	31.58

इसके अतिरिक्त, आयोग ने 22 कालेजों में नलकूप और ओवरहेड टैंकों के लिए 4.20 लाख रुपये के, 35 कालेजों में साइकिल शेडों के लिए 5.12 लाख रुपये के, 78 कालेजों में चाक-बोर्डों की व्यवस्था के लिए 1.58 लाख रुपये के तथा 82 कालेजों में अर्ध-सूक्ष्म-विश्लेषण-उपकरण के लिए 3.10 लाख रुपये के अनुदानों की अदायगी की मंजूरी दी।

समीक्षाधीन वर्ष में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग ने 776 परियोजनाएं अनुमोदित कीं जिनके लिए आयोग को कुल मिलाकर 5.94 करोड़ रु० की सहायता देनी होगी। उपर्युक्त परियोजनाओं के निमित्त अभी कृषि, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान कालेजों को सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है .

आयोग हरेक कालेज को नियत हिस्सेदारी के आधार पर तीन लाख रुपये तक की जो सहायता देता है, उसके अलावा वह किताबों और वैज्ञानिक उपकरण के लिए शत प्रतिशत आधार पर बुनियादी अनुदान भी देता रहा है। किताबों के लिए अनुदान यह देखकर तय किया जाता है कि किसी कालेज में छात्रों की संख्या कितनी है और वैज्ञानिक उपकरण के लिए यह देखकर कि उस कालेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते हैं। इस कार्यक्रम का ब्यौरा आयोग की 1970-71 की रिपोर्ट में दिया गया था। किसाबों के लिए 2,500 से अधिक कालेजों को बुनियादी अनुदान दिये गये और वैज्ञानिक उपकरण के लिए 1,500 से अधिक कालेजों को। 1971-72 में आयोग ने

किताबों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए 1,512 कालेजों की 37.99 लाख रुपये की सहायता दी और वैज्ञानिक उपकरण के लिए 1,488 कालेजों को 106.38 लाख रुपये की।

कालेजों और अध्यापकों के आवास की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ करने की सख्त जरूरत को देखते हुए आयोग ने यह तय किया कि चालू योजनावधि में प्रति कालेज तीन लाख रुपये की सहायता की वित्तीय सीमा से अलग चुने हुए कालेजों को अध्यापकावास बनवाने के लिए सहायता प्रदान की जाये। तय यह किया गया कि जो कालेज कम से कम दस वर्ष से काम कर रहे हैं और जिनमें अध्यापकों की संख्या 40 या इससे ऊपर है, उन्हीं को इस प्रकार की सहायता दी जाये। इस सिलसिले में स्वीकृत खर्च का 80 प्रतिशत हिस्सा आयोग देता है। इस योजना के अधीन कालेजों से प्रस्ताव आये उनकी जाँच एक समिति के द्वारा की गई और उसके आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध 114 कालेजों के लिए 1.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई। आयोग ने इन कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं।

कालेज-विज्ञान उन्नयन-कार्यक्रम

जैसा कि आयोग की 1970-71 की रिपोर्ट में बताया गया था, कालेजों में विज्ञान-शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम दो स्तरों पर इस रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है :

(क) शिक्षा के बेहतर तरीकों के लिए, प्रयोगशाला-उपकरण तथा वर्कशाप—सुविधाओं के लिये, अध्यापकों के पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिये परियोजना कार्य तथा विशेष प्रशिक्षण आदि के लिये चुने हुए कालेजों को सहायता देना;

(ख) पाठ्यक्रम तथा अध्ययन-सामग्री के सुधार के लिये, कालेज-अध्यापकों के वास्ते अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये, वर्कशाप-सुविधाओं तथा अध्यापन-साधनों के विकास के लिये चुने हुए अध्यापकों को एक शैक्षिक वर्ष के वास्ते विश्वविद्यालय-विभाग में आमंत्रित करने के लिये तथा अध्यापकों को अनुसंधान में प्रवृत्त एवं प्रोत्साहित करने के लिये चुने हुए विश्वविद्यालय-विभागों को सहायता देना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका क्रियान्वय विश्वविद्यालय-विभागों द्वारा किया जायेगा और जिन पर अनुमानतः 104 लाख रुपया खर्च आयेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 77 कालेओं को विशेष

सहायता देना तय किया गया है। अनुमान है कि कालेजों की विकास-परियोजनाओं पर 213 लाख रुपया खर्च आयेगा।

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय-विभागों ने पाठ्यक्रम-विकास, अध्यापकों के प्रशिक्षण-क्रम, अध्ययन की नई विधियों के परिवर्तन तथा नौकरी दिलाने में साधक परियोजनाओं आदि के कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्कशाप-सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और उनमें सुधार किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला तकनीकों तथा वर्कशाप-कार्यपद्धतियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अल्पकालिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है। कुछ कालेजों ने कई ऐसी अनुसंधान-परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है जिनका उद्देश्य विज्ञान-शिक्षा को परिवेश एवं उत्पादकता के साथ जोड़ना है। कुछ कालेजों का मन्तव्य उत्पादन-एकक स्थापित करने का है ताकि उनके स्नातक-पूर्व छात्र कुछ उपयोगी कौशल प्राप्त कर सकें।

अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेज

चालू योजनावधि में आयोग अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को अलग सहायता देता रहा है। यह सहायता अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए, प्रयोगशाला और पुस्तकालय-सुविधाएं बढ़ाने के लिये, अनावासी छात्र-केन्द्र बनाने के लिए तथा छात्रों और अध्यापकों की आवास-व्यवस्था के लिये, मिल सकती है। बी० एड० पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों की वित्तीय सहायता की सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रु० की जा चुकी है और बी० एड० तथा एम० एड० दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों की सहायता की सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जा चुकी है। साधारणतः आयोग यह सहायता नियत हिस्सेदारी के आधार पर देता है परन्तु अध्यापन-साधन एवं पाठ्य-सामग्री तैयार करने तथा प्रयोग-कार्य आदि की योजनाओं के लिये आयोग शत-प्रतिशत सहायता देता है।

इससे पहले 1970-71 में, अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को किताबों, दृश्य-श्रव्य साधनों तथा उपकरण के लिये बुनियादी अनुदान दिये गये थे*।

1971-72 में आयोग ने 29 अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार किये। इन परियोजनाओं की लागत अनुमानतः 30.54 लाख रू० होगी और नियत हिस्सेदारी के आधार पर इसमें आयोग को 19.13 लाख रू० का योगदान करना होगा।

---

*यह तय किया गया है कि 1972-73 में उन कालेजों के फायदे के लिए किताबों के वास्ते दुबारा बुनियादी अनुदान दिए जाएं जिन्होंने अपने पहले अनुदान की राशि का उपयोग इसी काम के लिए किया हो।

दिल्ली के कालेजों को अनुदान

आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी अंगभूत संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देता रहा। 1971-72 में इन कालेजों को कुल मिलाकर 3.67 करोड़ रू० के अनुदान दिये गये जिनमें से 1.27 करोड़ रू० योजनागत परियोनाओं के लिए दिये गये थे। आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न विकास-परियोजनाओं के लिए 1971-72 में कालेजों को 29.27 लाख रुपये के अनावर्ती अनुदान दिये गये। समीक्षाधीन वर्ष में 15 कालेजों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष एक नया महिला कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। इसका नाम है भारतीय महिला कालेज और यह दिल्ली प्रशासन की ओर से खोला गया है। इस नये कालेज समेत दिल्ली में कालेजों की संख्या 41 हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थाएं भी शामिल हैं। चूंकि भरती की मांगें दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी (महिला) कालेज तथा मातासुंदरी कालेज, नई दिल्ली दोनों को विस्तीर्ण कालेजों की योजना के अन्तर्गत ले आया गया। इस प्रकार अब ऐसे कालेजों की संख्या कुल मिलाकर 19 हो गई है। 'विस्तीर्ण कालेजों, में प्रभावी छात्र-संख्या 1,500 होती है जबकि अन्य कालेजों में केवल 1,000 होती है। इन कालेजों में पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी की जाती है कि छात्रों के एक हिस्से और दूसरे हिस्से की समय-सारिणिओं में वक्त का अन्तराल रहे।

आयुर्विज्ञान (मेडिकल) कालेज

1967-68 में आयोग ने हर आयुर्विज्ञान-कालेज की किताबों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए 15,000 रु० का अनुदान देना मंजूर किया था। 1969-70 में हर आयुर्विज्ञान कालेज को इसी प्रयोजन के लिए शत-प्रतिशत के आधार पर 10,000 रु० का अनुदान दिया गया।

जैसाकि 1970-71 की रिपोर्ट में बताया गया है, आयोग द्वारा नियुक्त समितियों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा कालेज ऑफ मेडिकल साइंसिज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, की विकास-योजनाओं की जांच की थी। इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार 1971-72 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अपने अपने मेडिकल कालेज के लिए कुल मिलाकर 41.28 लाख रु० के अनुदान दिये गये। ये अनुदान भवन-निर्माण, उपकरण, पुस्तकालय-सुविधाओं, अध्यापकों तथा अनुरक्षण के लिए तथा अन्य विकास-परियोजनाओं के लिए दिये गये थे।

एक समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान-कालेजों से संबद्ध अस्पतालों की जरूरतों की जांच की थी। इस समिति की सिफारिशों पर इन विश्वविद्यालयों को भवन-निर्माण तथा उपकरण के लिए 1971-72 में

22.78 लाख रु० के अनुदान दिये गये। यह तय किया गया है कि इन विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान कालेजों से संबद्ध अस्पतालों के रख-रखाव के लिए आयोग भारत-सरकार द्वारा अनुमोदित कसौटी के अनुसार आवर्ती अनुदान देगा। इस सिलसिले में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर उचंती खाते में 25 लाख रु० के अनुदान दिये गये।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष एक नया मेडिकल (आयुर्विज्ञान) कालेज खोला और आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने उसकी जरूरतों की जांच की। इस आयुर्विज्ञान-कालेज की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को 6 लाख रु० का तदर्थ अनुदान दिया गया।

अध्यापकों के लिए कार्यक्रम

शिक्षा और अनुसंधान का स्तर अक्षुण्ण बनाये रखने और ऊपर उठाने के लिए एक आवश्यक बात यह है कि अध्यापक-वर्ग को अनिवार्य सुविधाएं और प्रेरणाएं दी जायें। शिक्षा-प्रक्रिया तथा शैक्षिक विकास की योजनाओं की सफलता अंततः अध्यापकों की योग्यता और समर्पण-भाव निर्भर होती है। आयोग ने अध्यापन-व्यवसाय की बेहतरी और फायदे के लिए कई बड़े कार्यक्रम शुरू किये हैं।

ग्रीष्म-संस्थान, संगोष्ठियाँ तथा पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम

ग्रीष्म-संस्थानों संगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों के आयोजन का मंतव्य यह है कि अध्यापक अपने-अपने क्षेत्रों में नये विचारों और नई गतिविधियों के सम्पर्क में आयें ताकि उनकी व्यावसायिक क्षमता और प्रभाविता की वृद्धि हो। ज्ञान के सभी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है—अतः अध्यापकों को आधुनिक पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-पद्धतियों से अवगत रखने के वास्ते एक अनवरत कार्यक्रम निहायत जरूरी है।

(i) स्कूल अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन विज्ञान-संस्थान

1971-72 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् के सहयोग से देश के विभिन्न केन्द्रों में स्कूल-अध्यापकों के 65 ग्रीष्म विज्ञान-संस्थानों का आयोजन किया गया। (इनमें से 24 गणित के, 13 भौतिकी के, 17 रसायन के तथा 11 जीवविज्ञान के थे।) इसमें चार संस्थान ऐसे थे जिनमें नफील्ड सामग्री का उपयोग किया गया—एक जीवविज्ञान में, एक रसायन में, एक गणित में और एक भौतिकी में। इनका आयोजन ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से किया गया और इनमें 2,558 स्कूल-अध्यापकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद्, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने इन संस्थानों के आयोजन के लिए आवश्यक धनराशि आयोग को दे दी थी।

अब तक स्कूल-अध्यापकों के लिए वैज्ञानिक विषयों में 418 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया जा चुका है और नीचे दिये हुए ब्यौरे के अनुसार इनमें 16,297 अध्यापकों ने भाग लिया है :

स्कूल अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान : 1963-71

(कोष्ठक के आंकड़े आयोजित संस्थानों की संख्या व्यक्त करते हैं।)

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या				
	गणित	भौतिकी	रसायन	जीवविज्ञान	जोड़
1963	34(1)	43(1)	38(1)	39(1)	154(4)
1964	169(4)	170(4)	148(4)	153(4)	640(16)
1965	616(16)	488(13)	464(13)	261(7)	1,829(49)
1966	490(12)	468(12)	410(11)	308(8)	1,676(43)
1967	747(15)	572(16)	580(16)	482(13)	2,381(60)
1968	646(15)	594(17)	612(16)	450(13)	2,302(61)
1969*	600(16)	551(14)	734(18)	436(12)	2,321(60)
1970*	903(21)	610(15)	523(14)	400(10)	2,436(60)
1971*	991(24)	483(13)	674(17)	410(11)	2,558(65)
जोड़	5,196(124)	3,979(105)	4,183(110)	2,939(79)	16,297(418)

स्कूल-अध्यापकों के लिए ग्रीष्म विज्ञान संस्थान आयोजित करने के वास्ते 1971-72 में विश्वविद्यालयों को 7.35 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

1972 तथा उसके बाद स्कूल अध्यापको के लिए ग्रीष्म विज्ञान संस्थानों का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-परिषद नई दिल्ली करेगी।

(ii) कालेज-अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान

1971-72 में राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा-परिषद के सहयोग से कालेज-अध्यापकों के लिए 56 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया। (16 गणित में, 15 भौतिकी में,12 रसायन तथा 13 जीवविज्ञान में)। इनमें रसायन का एक संस्थान ऐसा भी था जिसमें नफील्ड सामग्री का इस्तेमाल किया गया और जो ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से आयोजित किया गया। इन संस्थानों में हिस्सा लेने वालों की संख्या 1,954 थी। 1971 तक, विज्ञान के विषयों में 356 संस्थानों का आयोजन हो चुका था और उनमें 12,616 अध्यापको को

*इनमें वे चार संस्थान भी शामिल हैं—गणित, भौतिकी, रसायन तथा जीव-विज्ञान सबमें एक-एक—जिनमें नफील्ड सामग्री का उपयोग किया गया और जिनका आयोजन ब्रिटिश कौंशिल के सहयोग से किया गया।

प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। नीचे की सारणी से स्पष्ट हो जायेगा कि 1964 से कितने संस्थान आयोजित हुए हैं और प्रत्येक में छात्रों की संख्या कितनी रही।

कालेज-अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थान १९६४-७१

(कोष्ठक के आँकड़े आयोजित संस्थानों की संख्या व्यक्त करते है)

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या				
	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	जोड़
1964	163(4)	166(4)	162(4)	168(4)	659(16)
1965	269(7)	258(8)	248(7)	277(7)	1,052(29)
1966	326(9)	308(9)	344(9)	257(7)	1,235(34)
1967	560(14)	375(11)	522(14)	410(11)	1,867(50)
1968	627(18)	508(14)	449(14)	525(15)	2,109(61)
1969	500(14)	524(17)	457(13)	372(10)	1,853(54)
1970	405(12)	601(19)	476(14)	405(11)	1,887(56)
1971	570(16)	543(15)	425(12)	416(13)	1,954(56)
जोड़	3,420(94)	3,283(97)	3,083(87)	2,830(78)	12,616(356)

1971-72 में विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के कालेज अध्यापकों के फायदे के लिये आयोग ने (एमेरिकन कैमिकल सोसायटी के पाठ्यक्रमों के साँचे में ढले हुए) नौ अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।

(iii) अंग्रेजी भाषा-शिक्षण में ग्रीष्म-संस्थान

1971-72 में केन्द्रीय अंग्रेजी-संस्थान, हैदराबाद और ब्रिटिश कौंसिल, नई दिल्ली के सहयोग से कालेज-अध्यापकों के लिये अंग्रेजी-भाषा शिक्षण पर 14 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया। इन संस्थानों में 624 कालेज अध्यापकों ने भाग लिया। ब्रिटिश कौंसल ने ब्रिटेन से विशेषज्ञों की सेवाएं मुहैया कराई। केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद ने भी इन संस्थानों के लिये विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश कौंसिल ने किताबों और पाठ्य-सामाग्री का भी प्रबंध किया। 1971-72 के अंत तक, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के 67 ग्रीष्म संस्थान आयोजित किये जा चुके हैं और देश भर के 3,185 कालेज अध्यापकों ने इन संस्थानों में भाग लिया है।

अंग्रेजी भाषा-शिक्षण के इन ग्रीष्म-संस्थानों में भाग लेने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हें समुचित प्रेरणा प्रदान करने के लिए आयोग ने 1971-72 में 300 रु० प्रतिमाह की

13 अधिवृतियां प्रदान की ताकि ग्रीष्म-संस्थानों में भाग लेने वाले इन मेधावी अध्यापकों को आगे प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद में भेजा जा सके।

अंग्रेजी-भाषा-शिक्षण के ग्रीष्म-संस्थानों के अनुवर्ती कार्यक्रम संयुक्त रूप से मद्रास, मदुरै और बंगलोर में हुए और 1970 के संस्थानों में जिन लोगों ने भाग लिया था, उनके लिए यह कार्यक्रम राजस्थान में संपन्न हुआ।

(iv) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ग्रीष्म-संस्थान

मेधावी स्नातकोत्तर छात्रों के शैक्षिक विकास को गति देने के लिए और उनके फायदे के लिए आयोग ने दो ग्रीष्म संस्थान आयोजित किए। एक रसायन में आँध्र विश्व-विद्यालय के तत्त्वावधान में, और दूसरा गणित में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनालोजी एन्ड साइंस, पिलानी के तत्त्वावधान में।

(v) संबद्ध कालेजों के नये/अवर अध्यापकों के लिए अभिविन्यास-पाठ्यक्रम

आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में संबद्ध कालेजों के नये/अवर अध्यापकों के लिए अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि नये और अवर अध्यापक अध्ययन-क्रम के आयोजन से, वर्ष में अध्यापन कार्यक्रमों को विभिन्न चरणों में बाँटने के काम से, कक्षागत परीक्षणों और परीक्षाओं से, प्रश्नपत्र बनाने, लिखे हुए काम को जांचने, छात्रों के काम के मूल्यांकन, ट्यूटोरियल, व्याख्यान आदि से अवगत हो जायें। 1971 में नौ विश्वविद्यालयों ने संबद्ध कालेजों के नये/अवर अध्यापकों के लिये अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।

(vi) कालेज-अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मूलविज्ञानों में अनुसंधान-सहभागिता-कार्यक्रम

मूलविज्ञानों में कालेज-अध्यापकों के लिए अनुसंधान-सहभागिता-कार्यक्रम का मंतव्य यह है कि मेधावी अध्यापकों को विश्वविद्यालय-वैज्ञानिकों के मार्ग दर्शन में अपने विषय के अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और प्रविधि का ज्ञान हो जाये। इसका मंशा उन सुयोग्य अध्यापकों को फायदा पहुँचाना है जो विश्वविद्यालयों से दूर देहाती इलाकों और छोटे मोटे कस्बों में काम कर रहे हैं।

स्नातकोत्तर छात्रों के अनुसंधान-सहभागिता-कार्यक्रम का मंतव्य यह है कि विशिष्ट स्नातकोत्तर छात्र विश्वविद्यालय-विभागों के यशस्वी वेज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य और उसकी प्रविधि का ज्ञान प्राप्त कर सकें और गणित, भौतिकी, रसायन तथा जीवविज्ञान के क्षेत्र में उनके भीतर जिज्ञासा और शोध की वृत्ति जागे।

1968-72 तक इस योजना के क्रियान्वय में जो प्रगति हुई, उसका दिग्दर्शन आगे की सारिणी से हो जायेगा।

अनुसंधान-सहभागिता-कार्यक्रम : 1968 से 1972 तक

कार्यक्रम में भाग लेने वाले अनुसंधाताओं की संख्या						
	कालेज-अध्यापक			स्नातकोत्तर छात्र		
विषय	1968-69	1969-70	1971-72	1968-69	1969-70	1971-72
जीवविज्ञान	31	9	17	37	9	7
भौतिकी	3	8	19	11	2	7
रसायन	28	20	16	30	4	7
गणित	12	7	11	8	—	2
जोड़	74	44	63	86	15	23

(vii) संगोष्ठियां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम परिसंवाद सम्मेलन आदि

आयोग ग्रीष्म-संस्थानों के अतिरिक्त मानविकी, विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में संगोष्ठियों, पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों, वर्कशापों, परिसंवादों तथा शैक्षिक सम्मेलनों के लिए भी विश्वविद्यालयों को वित्तिय सहायता देता रहा है। 1971-72 में वैज्ञानिक विषयों और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में संगोष्ठियों, पुनश्चर्या-पाठ्क्रमों आदि के आयोजनों के बारे में 105 प्रस्ताव स्वीकार किये गये और इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों को 8.01 लाख रु० की सहायता प्रदान की गई।

ऊपर जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है उनमें पाठ्यक्रमों का स्तर ऊपर उठाने और शिक्षण विधियाँ सुधारने में आमतौर से सहायता मिली है। इन कार्यक्रमों के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई है वह कुल मिलाकर बहुत उत्साहवर्धक और संतोषप्रद रही है। ग्रीष्म-संस्थानों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के निदेशकों की जो रिपोर्ट आई हैं उनसे पता चलता है कि आयोजित कार्यक्रम सचमुच बहुत मूल्यवान थे और उनसे शैक्षिक समाज को बहुत फायदा हुआ है।

अध्यापकों को अनुसंधान के लिए सहायता

अध्यापकों को अपने अनुसंधान में किताबों, रासायनिक पदार्थों, उपकरण, क्षेत्रीय कार्य आदि जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए आयोग उन्हें वित्तिय सहायता देता रहा। आयोग इस योजना के अधीन, किसी अध्यापक को, जो अनुदान देता है वह एक बार में अधिक से अधिक 5,000 रु० का हो सकता है, और इसका उपयोग आमतौर पर दो साल के भीतर करना होता है॥ पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत

जिन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया और अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है ।

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाएं		जो अनुदान दिये गये
	वैज्ञानिक विषय	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	
1969-70	429	187	6.15
1970-71	623	243	4.55
1971-72	441	213	4.83

1963-64 में जब से योजना का सूत्रपात हुआ था तब से इसके अंतर्गत 4,707 अध्यापकों को वित्तीय सहायया दी जा चुकी है—1,602 अध्यापकों को मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में तथा 3,105 को वैज्ञानिक विषयों में ।

अध्यापकों का विनिमय

विश्वविद्यालयों को इस निमित्त धनराशियां दी जाती है कि वे व्याख्यान देने, संगोष्ठियों का संचालन करने या अनुसंधाताओं का मार्गनिर्देश करने के लिए देश के अन्य विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं से लब्धप्रतिष्ठ अध्यापकों या विशेषज्ञों को आमंत्रित करें । इस सिलसिले में जो भी खर्चा आये उसे विश्वविद्यालय शत प्रतिशत आधार पर 'अनियत' अनुदानों में से कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें आयोग से पहले अनुमति लेना या उसे बताना जरुरी नहीं होगा । 'अनियत' अनुदान विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस योजना के फलस्वरूप विश्वविद्यालय भरसक व्यापक आधार पर उच्चतर ज्ञान-संस्थानों के मेधावी अध्यापकों और विद्वानों की सेवाओं का लाभ उठा सकते है ।

राष्ट्रीय एसोशिएटशिप

आयोग राष्ट्रीय एसोशिएटशिप से सम्बंधित एक योजना का सूत्र-पात करने का फैसला पहले ही कर चुका था । इस योजना का अभीष्ट यह है कि जिस वैज्ञानिक या विद्वान को राष्ट्रीय एसोशिएट का पद प्राप्त होगा उसे देश में अपनी मर्जी की किसी भी ऐसी संस्था में थोड़े समय के लिए जाने और काम करने का अवसर मिलेगा जिसमें उनके अनुसंधान या उच्चतर अध्ययन के विषय के लिए विशेष सुविधाएँ हो । 1971-72

में, विश्वविद्यालयों और कालेजों से 68 अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किये गये। ये अध्यापक पाँच वर्ष की अवधि में तीन बार अपनी मर्जी की संस्था में काम करने जायेंगे और किसी भी वर्ष में उनका प्रवास 12 हफ्ते से अधिक का नहीं होगा।

राष्ट्रीय प्राध्यापक-पद

हर वर्ष एक सीमित संख्या में अध्यापक तथा विशेषज्ञ राष्ट्रीय प्राध्यापकों के रूप में चुने जाते हैं ताकि वे कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों में जाकर अपने विशिष्ट क्षेत्र की नई गतिविधियों पर व्याख्यान दे सकें तथा उच्चतर अध्ययन या अनुसंधान के कार्यक्रमों में भाग ले सकें। इस योजना के अंतर्गत हर प्राध्यापक को कम-से-कम तीन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में जाना होता है और इनमें से हरेक में कम-से-कम एक सप्ताह रहना होता है। आयोग राष्ट्रीय प्राध्यापक को 1,000 रु० मानदेय तथा यात्रा-खर्च अलग से देता है और साथ ही व्याख्यान-साधन आदि तैयार करने के लिए 250 रु० का अनुदान भी देता है।

1971-72 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 26 अध्यापक आमंत्रित किये गये। इन विद्वानों ने जो भाषण दिये उनके प्रकाशन के लिए भी आयोग ने सहायता प्रदान की।

राष्ट्रीय फेलोशिप

1971-72 में आयोग ने राष्ट्रीय फेलोशिप प्रदान करने की एक योजना का सूत्रपात किया। इस योजना का अभीष्ट यह है कि लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक एक-दो साल के लिए अपने आम काम-काज से मुक्त होकर अपना समय और ध्यान अनुसंधान में केन्द्रित कर सकें। अध्यापक को इस योजना के अंतर्गत कुल जो धनराशि मिलती है वह उसके वेतन तथा अन्य भत्तों के बराबर होती है। इसके अलावा दैनंदिन काम-काज में सहायता के लिए और यात्रा तथा अन्य आनुषांगिक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रु० का अनुदान भी ऐसे अध्यापक को दिता जाता है। जहाँ जरूरी समझा जाये वहां आयोग अतिरिक्त आनुषांगिक अनुदान के तौर पर 2,000 रु० प्रतिवर्ष तक का अनुदान और स्वीकृत कर सकता है 1971-72 में सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय फेलोशिप दी गई।

यात्राअनुदान

अनुसंधान तथा उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में जाने अथवा सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अध्यापकों और अनुसंधाताओं को यात्रा-अनुदान देने के वास्ते आयोग

विश्वविद्यलयों को कुछ धनराशियां देता है। इसके लिए विश्वविद्यलय आयोग द्वारा दिये गये अपने 'अनियत अनुदानों में से शत-प्रतिशत आधार पर खर्चा कर सकता है।

विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जो कालेज-अध्यापक चुने जाते हैं, उन्हें विदेश-यात्रा के लिए 50 प्रतिशत तक खर्चा वित्तीय सहायता के रुप में दिया जा सकता है। यह सहायता ऐसे अध्यापक को दी जाती है जिसे किसी सम्मेलन की अथवा उसकी किसी शाखा की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया हो या जिसे लेख आदि पढ़ने का निमंत्रण मिला हो—बशर्ते कि प्रायोजक विश्वविद्यालय आधा खर्चा उठाने को तैयार हो। 1971-72 में, 32 कालेज-अध्यापकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सहायता दी गई।

सेवा निवृत्त अध्यापक

आयोग विश्वविद्यलयों और कालेजों की इसमें मदद करता रहा है कि अगर सेवा निवृत्त होने के बाद भी कोई विशिष्ट अध्यापक अध्यापन-अनुसंधान के योग्य हो तो वे उनकी सेवा का लाभ उठाते रह सकें। इस योजना के अधीन अपना काम जारी रखने के लिए चुने हुए अध्यापकों को 6,000 रू० प्रति वर्ष मानदेय दिया जाता है। और आनुषंगिक व्यय के लिए भी 1,000 रू० का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। 1970-71 में इस योजना के अंतर्गत 61 अध्यापक चुने गये थे। 1971-72 में यह सहूलियत 90 अध्यापकों को दी गई। इस वर्ष के अंत में देश की विभिन्न संस्थाओ में 186 सेवा-निवृत्त अध्यापक इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे थे—113 मानविकीय विषयों तथा सामाजिक विज्ञानों में और 73 वैज्ञानिक विषयों में। इस योजना के फलस्वरुप विश्व-विद्यालयों और कालजों को प्रतिष्ठित अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके अनुभव तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर मिला है।

आवास

अध्यापकों के लिए समुचित आवास-प्रबंध की समस्या बड़ी गंभीर है जिसका जल्दी-से-जल्दी कुछ समाधान होना चाहिए। आयोग अपने उपलब्ध साधनों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्टाफ क्वाटर तथा अध्यापकावास की व्यवस्था करने के लिए सहायता देता रहा है। इस सिलसिले में पिछले तीन वर्षों में जो अनुदान दिये गये, उनकी तफसील यों हैं :

(आँकड़े लाख रूपयों में हैं)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये	
	विश्वविद्यालय	कालेज
1969-70	27.16	9.05
1970-71	20.95	16.90
1971-72	33.34	17.79

कालेजों में अध्यापकों के आवास बनवाने पर जो खर्चा पड़ता है, सामान्यतः आयोग उसका दो-तिहाई हिस्सा देता है। पर चूँकि रहने के स्थान की व्यवस्था भरसक जल्दी-से-जल्दी करना बेहद जरुरी है और आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए आयोग इस बात पर राजी हो गया कि जो कालेज नियत बुनियादी शर्तें पूरी करते हों, उन्हें अध्यापकावास के निर्माण के लिए 80 प्रतिशत तक खर्चा आयोग देगा। स्टाफ क्वाटरों के लिए आयोग 50:50 के आधार पर सहायता देता है। विश्वविद्यालय में अध्यापावास के लिए आयोग 3 लाख रू० की सीमा के भीतर शत-प्रतिशत आधार पर सहायता देता है। अतिरिक्त आवासों के लिए आयोग 50 प्रतिशत तक खर्चा उठाता है।

छात्रों के लिए कार्यक्रम

आयोग छात्र-सेवाओं और छात्र-कल्याण के कार्यक्रम में बराबर सक्रिय दिलचस्पी लेता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र-समाज के लिए अनिवार्य सेवाओं तथा सुख-सुविधाओं की व्यवस्था को आयोग उच्च प्राथमिकता देता रहा है। छात्र जिन परिस्थितियों में रहते और काम करते हैं, उनके सुधार का बड़ा सीधा असर रुख-रवैये पर तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके कृतित्व पर पड़ता हैं। विश्वविद्यालय या कालेज जीवन-प्रांगण में प्रवेश की राह में पड़ने वाला कोई अनुर्वर और निरर्थक क्षेत्र नहीं होता : वह तो जीवन का अंग होता है और विद्यार्थी के जीवन का वह दौर एक सुखमय और प्रेरणादायक अनुभव होना चाहिए। गंभीर बौद्धिक साधना तथा व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तथा स्वस्थ सामूहिक जीवन परम आवश्यक तत्व होते हैं।

आयोग इस बात पर बार-बार जोर देता रहा है कि छात्र-समाज की वास्तविक आवश्यकताओं और कठिनाइयों को सावधानी और सहानुभूति के साथ समझना-बूझना चाहिए और विचार-विनिमय की कुछ ऐसी व्यवस्था का विकास होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के अधिकारी समय-समय पर और नियमित रुप से छात्रों के साथ उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकें और उनकी पूर्ति तथा समाधान के लिए तुरंत यथावश्यक कदम उठा सकें। विश्वविद्यालयों और कालेजों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज में छात्रों की सहभागिता के प्रश्न पर विश्वविद्यालय-

National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg NewDelhi-110016
DOC. No....D-6251
Date....9/7/91

अनुदान-आयोग द्वारा डा० पी० बी० गर्जेंद्रगडकर की अध्यक्षता में नियुक्त एक समिति बड़ी सावधानी के साथ विचार कर चुकी है। इस समिति की रिपोर्ट का पहला भाग— जिसका शीर्षक है विश्वविद्यालय-प्रबंध—जून, 1971 में प्रकाशित कर दिया गया था। इसमें और बातों के अलावा छात्र-सहभागिता के प्रश्न पर भी विचार किया गया है। रिपोर्ट का यह भाग विचारार्थ विश्वविद्यालयों और राज्य-सरकारों को भेजा जा चुका है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों और अध्यापकों के आपसी संवाद की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है और उसने सिफारिश की है कि छात्रमत प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों की सहभागिता के विचार को यथार्थ में परिणत करने के लिए संस्था के भीतर ही कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि समष्टि-जीवन के पुनःसंगठन में, पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्यक्रम से सहबद्ध क्रियाकलाप के आयोजन में छात्रों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए और उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक प्रश्नों पर भी विचार करें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें—जैसे पाठ्यक्रम तैयार करने के, पाठ्यक्रम के स्वरुप और सार तत्व के, शिक्षण और परीक्षण के ढंग-ढांचे आदि के प्रश्नों पर एक समिति ने सिफारिश की है कि हर संकाय की एक छात्र-सलाहाकार-समिति होनी चाहिए और विश्वविद्यालय-विभागों में मिली जुली छात्र-अध्यापक-समितियां होनी चाहिए। सेनिट या कोर्ट में भी छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक छात्र-परिशद् की स्थापना की भी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके ये कार्य होने चाहिए :

(i) ऐसे मामलो के बारे में कार्यकारिणी-परिषद् तथा विद्या-परिषद् से सिफारिशें करना जिनका प्रभाव छात्रों के शैक्षणिक कृतित्व पर पड़ता हो—जैसे पाठ्यक्रम तैयार करने, शिक्षा का ढर्रे आदि के बारे में, विश्वविद्यालय के समष्टि जीवन का संबंध जहाँ तक छात्रों से हो वहां तक उस के बारे में, तथा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्यक्रम से सहबद्ध क्रियाकलाप के बारे में।

(ii) साधारणतः अनुशासन, कल्याण, खेल-कूद, साहित्यिक तथा विभागीय संस्थाओं से, छात्रावासों, छात्रघरों, अनावासी छात्र-केंद्रों के प्रबंध से, विस्तार-कार्य, सामाजिक कार्य, छात्र-स्वास्थ्य, राष्ट्र-सेवा-योजना, एन० सी० सी० आदि से संबंधित सारे नियम छात्र-परिषद् के विचार जानने के लिए उसके सम्मुख रखे जायें और तब उन विचारों को कार्यकारिणी तथा विद्या-परिषद् के समक्ष फैसले के लिए प्रस्तुत किया जाये ; और

(iii) परिषद् को यह अधिकार होगा कि किसी भी ऐसे मामले के बारे में, जिसका सरोकार छात्रों से हो, अपने विचार, अपना मत और अपनी सिफारिशें कुलपति

अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी के पास भेज दें। यह फैसला करने का अधिकार छात्र-परिषद् के अध्यक्ष को हो कि किसी मामले का संबंध छात्रों से है या नहीं।

समिति ने जो मत प्रस्तुत किये हैं और सुझाव दिये हैं उन पर विश्वविद्यालय सोच-विचार कर रहे है।

इधर, कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र- असंतोष की आग भड़क चुकी है। समूचे छात्र-समाज में मुट्ठी भर छात्र ही ऐसे होते है जो अनुशासन भंग करते और अशांति उत्पन्न करते है और उनके इन कामों के पीछे अनेक तरह के कारण और परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं—जिनमें कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई-लिखाई से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता। शिक्षा-आयोग (1964-66) का मत यह था कि छात्र-असंतोष के कुछ उपचार तो ऐसे हैं जो शिक्षा-व्यवस्था के दायरे के परे होते हैं।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने छात्र-समाज के निमित्त अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों का स्वरूप वैविध्यमय कर दिया गया है और छात्र-कल्याण तथा छात्रों की सुख-सुविधाओं पर होने वाले व्यय में काफी वृद्धि हो गई है।

छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां

पिछले कुछ वर्षों में स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान-स्तरों पर छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1969-70 में स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की भरती की संख्या 1,46,804 थी परन्तु 1971-72 में यही संख्या बढ़ते-बढ़ते 1,80,343 तक पहुंच गई। अनुसंधान-स्तर पर इस अवधि में छात्रों की संख्या 12,474 से बढ़कर 14,995 हो गई। अतः अब विश्वविद्यालयों और कालेजों में जो विशेषीकृत अध्ययन किए जा रहे हैं उनके विस्तार और वैविध्य को देखते हुए शोधवृत्तियों तथा अधिवृत्तियों की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता बराबर बढ़ती जा रही है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए पुरस्कार तथा कई छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां प्रदान करता रहा है। उच्चत्तर अध्ययन-केन्द्रों के लिए तथा अनुसंधान के स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए जो छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां विशेष रूप से स्थापित की गई हैं, ये उनसे अलग और उनके अतिरिक्त है।

मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, वैज्ञानिक विषयों तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय आधार पर प्रवर और अवर छात्रवृत्तियां दी जातीं हैं। इस सिलसिले में

कई समितियां बनाई गई हैं और ये वृत्तियां उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर दी जातीं हैं। 1971-72 में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 16 प्रवर अधिवृत्तियां प्रदान की गईं और वैज्ञानिक विषयों में 34. प्रवर छात्रवृत्ति 500 रु० माहवार की होती है और आमतौर से इसकी अवधि दो वर्ष होती है पर खास सूरतों में इसे एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस वर्ष मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 55 अवर छात्रवृत्तियां दीं गईं तथा वैज्ञानिक विषयों में 91. अवर छात्रवृत्ति 300 रु० प्रति माह की होती है और इसकी सामान्य अवधि तीन वर्ष होती है।

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलोजी) के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए समीक्षाधीन वर्ष में 46 शोधवृत्तियां दी गईं। यह शोधवृत्तियां 400 रु० प्रति माह की होती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के अन्त में, आयोग की शोधवृत्तियों के सहारे मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 156 अध्येता, वैज्ञानिक विषयों में, 216 अध्येता तथा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में 46 अध्येता उच्चत्तर अध्ययन और अनुसंधान में संलग्न थे।

ऊपर जिन अधिवृत्तियों की चर्चा की गई है, उनके अलावा आयोग विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष कुछ निश्चित संख्या में 250-250 रु० प्रति माह की शोधवृत्तियां भी देता रहा है। 1970-71 में 70 विश्वविद्यालयों को 250-250 रु० प्रति माह की 600 शोधवृत्तियां देने का अधिकार दिया गया था। अब आयोग ने इन शोधवृत्तियों की राशि 250 रु० प्रति-माह से बढ़ाकर 300 रु० प्रति माह कर दी है। इसके अतिरिक्त, आनुषंगिक व्यय की राशि भी 500 रु० से बढ़ाकर 1,000 रु० कर दी गई है। यह भी तय कर लिया गया है कि इन छात्रवृत्तियों को 'अवर शोधवृत्ति' नाम दिया जायेगा। 1971-72 में 77 विश्वविद्यालयों की जितनी अवर शोधवृत्तियां दी गईं उनके सिलसिले में उन्हें कुल मिलाकर 83 लाख रु० के अनुदान दिये गये।

आयोग 250-250 रु० प्रतिमाह की अवर शोधवृत्तियां देने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देता रहा ताकि इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन को बल मिले।

पिछले सालों की तरह इस साल भी आयोग ने अरबी और फारसी में आनर्स के छात्रों के लिए सात छात्रवृत्तियां और इन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 11 छात्रवृत्तियां दीं। आयोग ने संस्कृत, पालि अथवा प्राकृत में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भी 19 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं (जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1,800 रु० प्रति वर्ष है)। उत्तर-पूर्वी भारत के पार्वत्य क्षेत्रों के छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 15 छात्रवृत्तियां और अनुसंधान के लिए चार अवर शोधवृत्तियां प्रदान की गईं।

छात्रों के लिए रहने का स्थान

विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों के लिए रहने की जगह का बहुत विस्तार अपेक्षित है—इस बात पर बार-बार जोर दिया जाता रहा है। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि स्नातक-पूर्व स्तर के लगभग 25 प्रतिशत छात्रों को तथा स्नातकोत्तर स्तर के 50 प्रतिशत छात्रों को छात्रावास में जगह देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस समय आयोग के पास इतना धन नहीं है कि इन लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

पिछले तीन वर्षों में छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित सारिणी में दर्शाई गई है :

वर्ष	छात्रों की कुल भरती	छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या
1969-70	24,32,630	3,53,527
1970-71	26,11,292	3,61,472
1971-72	28,42,314	3,73,277

आयोग के पास जो उपलब्ध साधन हैं, उन्हें देखते हुए छात्र-छात्राओं के आवास की व्यवस्था के निमित्त आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को सीमित सहायता दे सकता है—छात्रों के आवास-निर्माण के लिए स्वीकृत खर्च का 50 प्रतिशत और छात्राओं के आवास बनवाने के लिए स्वीकृत खर्च का 75 प्रतिशत। इस मद में पिछले तीन साल में जो अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा यों है :

छात्रावासों का निर्माण : 1969-70 **से** 1971-72 **तक**

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये।	
	विश्वविद्यालय	कालेज
1969-70	68.48	34.62
1970-71	50.86	49.70
1971-72	56.78	54.79

1969-70, 1970-71 और 1971-72 में आयोग ने छात्रावास बनवाने के लिए 49 विश्वविद्यालयों की मदद की। इन छात्रावासों में 7,500 छात्र आ सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में कालेजों के जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये उनका ब्यौरा यों है :

वर्ष	जितने कालेजों को सहायता दी गई	छात्रों के लिए अतिरिक्त जगह
1969-70	56	3,737
1970-71	59	3,368
1971-72	75	4,556

आयोग ने यह मंजूर कर लिया है कि विश्वविद्यालयों को अपने विकास-कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत जो धनराशियां नियतित की गई हैं उनसे अलग और उनके अतिरिक्त वह, ऊपर बताये गये हिस्सेदारी के आधार पर, विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर छात्रावासों के निर्माण में सहायता देगा। समीक्षाधीन वर्ष में, आयोग ने ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिए 14 विश्वविद्यालयों को सहायता देना मंजूर किया। इन छात्रावासों में 1,300 छात्र-छात्राओं के रहने की जगह होगी।

छात्र-सुविधाएं

1970-71 में आयोग ने छात्रावास कामन-रूम, कैंटीन आदि की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कालेजों को, उनकी छात्र-संख्या के आधार पर, 5,000 रु० से लेकर 10,000 रु० तक के अनुदान देने का फैसला किया। 1971-72 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कालेजों को कुल मिलाकर 67.35 लाख रु० के अनुदान दिये गये।

1971-72 में, 38 विश्वविद्यालयों के वर्तमान छात्रावास-सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्र-सुविधाओं के लिए पहले ही 50 लाख रु० की विशेष धनराशि दी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को 1970-71 में 6.75 लाख रु० तथा 1971-72 में 11.36 लाख रु० की अदायगियां की गईं। आयोग ने विश्वभारती को भी छात्र-सुविधाओं के लिए सहायता देना स्वीकार किया है। इस सिलसिले में उक्त विश्वविद्यालय की जो भी जरूरतें होंगी, उन्हें आयोग की एक समिति आंकेगी। इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय के कुछ प्रस्ताव तदर्थ आधार पर मंजूर किये जा चुके हैं। इनमें कुल मिलाकर 54,000 रु० खर्चा पड़ेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र-सुविधाओं से संबंधित जरूरतों को आँकने-परखने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस मद्दे कुल मिलाकर 45.25 लाख रु० के अनुदानों की सिफारिश की है। अभी इस समिति के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं की जाँच-परख करने का काम बाकी है।

छात्र घर/अनावासी छात्र-केन्द्र

छात्र घरों तथा अनावासी छात्र-केन्द्रों की व्यवस्था के लिये आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता देता रहा। और बातों के अलावा इनका अभीष्ट यह है कि फुर्सत के वक्त दिवा-छात्रों को पढ़ने-लिखने की सुविधाएं मिल जायें। इस प्रयोजन के लिये आयोग किस ढंग से और कितनी सहायता देता है—इसका संकेत 1970-71 की रिपोर्ट में दिया जा चुका है।

छात्र घर बनाने के बारे में अब तक 61 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव मंजूर किये जा चुके हैं।

आयोग कालेजों को ऐसे अनावासी छात्र-केन्द्रों के लिये भी सहायता दे रहा है, जो, और बातों के अलावा, कैंटीन तथा वाचनालय की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। 1970-71 तक, आयोग अनावासी छात्र-केन्द्रों का निर्माण कराने के बारे में 343 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर चुका था। 1971-72 में 68 अन्य कालेजों के भी प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिनके सिलसिले में आयोग को 31.58 लाख रु० की धनराशि सहायता के रूप में देनी पड़ेगी।

अध्ययन-केन्द्र

आयोग देश के विभिन्न भागों में 111 अध्ययन-केन्द्र बनाने के बारे में 55 विश्व-विद्यालयों को वित्तीय सहायता देना मंजूर कर चुका है। ये केन्द्र ऐसे क्षेत्रों में खोले जायेंगे जहाँ छात्रों की संख्या बहुत बड़ी हो। केन्द्रों का अभीष्ट यह है कि छात्रों को आव-श्यक पुस्तकालय-सुविधाएं मिलें जिसमें यह भी शामिल है कि पाठ्य-पुस्तकों की कई-कई प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध हों। आयोग हर केन्द्र को प्रस्तावों के लिये अधिक-से-अधिक 20,000 रु० की रकम और स्टैकों तथा फर्नीचर के लिये अधिक-से-अधिक 10,000 रु० की रकम देगा। पुस्तकालय-कर्मचारियों तथा आनुषंगिक व्यय की मद में आयोग का योगदान क्रमशः 10,000 रु० और 3,000 रु० होगा। विश्वविद्यालयों की अपेक्षा की जाती है कि वे इन केन्द्रों के लिये बिना किराये की जगह देंगे और जब इन्हें आयोग की सहायता मिलनी बन्द हो जायेगी तो उन्हें चलाते रहने की वित्तीय जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। 1971-72 के अन्त तक, 81 अध्ययन-केन्द्र खोलने के लिये संबद्ध विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 29.35 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

किताब-कोष

1970-71 में आयोग ने कालेजों को ऐसे पुस्तकालय बनाने के लिये आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया जहाँ से सुयोग्य छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान किताबें उधार मिलती रहें। यह तय किया गया कि इसके लिये कुल जितनी धनराशि नियत की

जायेगी उसका 75 प्रतिशत आयोग देगा। यह राशि छात्र-संख्या के अनुसार प्रति कालेज कम-से-कम 15,000 रु० और अधिक-से-अधिक 30,000 रु० होगी। 1971-72 से इस योजना को लागू किया गया। वर्ष के अन्त तक किताब-कोषों का निर्माण करने के लिये लगभग 1,000 कालेजों को कुल मिलाकर 1.13 करोड़ रु० की धनराशियाँ अनुदानों में दी गई।

स्वास्थ्य-केन्द्र

जैसा कि 1970-71 की रिपोर्ट में बताया गया था, आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों को निमित्त स्वास्थ्य-सेवा-कार्यक्रम पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। इस सिलसिले में यह तय किया गया है कि विश्वविद्यालयों और चुने हुए कालेजों को (शुरू-शुरू में हर विश्वविद्यालय में दो कालेज चुने जायेंगे) स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। चौथी योजना की अवधि में आयोग हर स्वास्थ्य-केन्द्रों को इस प्रकार से सहायता दे रहा है :

	आयोग का योगदान
(i) विश्वविद्यालय	
अनावर्ती (भवन-निर्माण और उपकरण)	स्वीकृत लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम सीमा : 1,50,000 रु०
आवर्ती (कर्मचारियों का वेतन और भत्ते)	स्वीकृत खर्च का 50 प्रतिशत— अधिकतम सीमा 30,000 रु० प्रतिवर्ष
(ii) कालेज	
अनावर्ती (भवन निर्माण और उपकरण)	स्वीकृत लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम सीमा : 75,000 रु०
आवर्ती (कर्मचारियों के वेतन और भत्ते)	स्वीकृत खर्चे का 50 प्रतिशत— अधिकतम सीमा : 20,000 रु० प्रतिवर्ष

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग ने अभी तक 14 कालेजों और तीन विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकार केये है।

खेल और शारीरिक शिक्षा

खेल-कूद और शरीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये जितनी धनराशि मौजूद है उसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने जिमनाजियम बनाने के लिये अब तक 20 विश्व-विद्यालयों और 84 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार किये हैं। इस सिलसिले में विश्वविद्यालय

के 2,50,000 रु० के कुल नियतन में, 1,500 से अधिक छात्रों वाले कालेज के ,50,000 रु० के नियतन में तथा इससे कम छात्रों वाले कालेज के 75,000 रु० के नियतन में आयोग की सहायता 75 प्रतिशत सक सीमित है। पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्टस ने एक पुस्तिका तैयार की है जिसमें और बातों के अलावा जिमनाजियम का आयोजन करने के बारे में ब्यौरेवार निर्देश दिये गये हैं। इस पुस्तिका की प्रतियां विश्वविद्यालयों को भेज दी गई हैं।

आयोग खेल के मैदानों को संवारने-सुधारने तथा खेलों आदि के लिये आवश्यक सामान खरीदने के वसते भी विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देता रहा है। इस काम पर विश्वविद्यालय कुल 15,000 रु० तक खर्च कर सकता है और कालेज 10,000 रु० तक, और आयोग ने इस खर्चे का 75 प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है। चूंकि इस कार्यक्रम के लिये बहुत सीमित धनराशि है, इसलिये आयोग अभी केवल 20 प्रतिशत संबद्ध कालेजों को सहायता दे रहा है। 1971-72 तक आयोग ने खेल के मैदानों को संवारने-सुधारने तथा खेल-कूद आदि के लिये आवश्यक सामान खरीदने के बारे में 10 विश्वविद्यालयों और 80 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार किये थे।*

आयोग खेलकूद-प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिये भी विश्वविद्यालयों की मदद करता रहा है। इस मद में जो खर्चा होता है उसका 75 प्रतिशत आयोग देता है। अब तक इस कार्यक्रम के अधीन 31 विश्वविद्यालयों को मदद दी जा चुकी है।

छात्र-सहायता-कोष

आयोग प्रतिवर्ष छात्र-सहायता-कोष के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देता रहा है। पढ़ाई या परीक्षा की फीस देने के लिये, किताबें खरीदने के लिये और पढ़ाई से संबंधित अन्य खर्चों के लिये छात्रों को इस कोष में से सहायता दी जाती है। छात्र जितनी धनराशि इसमें देते हैं और जितनी अन्य स्रोतों से इकट्ठी होती है उतनी ही धनराशि आयोग विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में दे देता है परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रु० प्रतिवर्ष है। कालेजों को उनकी छात्र-संख्या के अनुसार छात्र-सहयता-कोष के लिये 750 रु० से लेकर 3,250 रु० तक के अनुदान दिये जाते हैं।**

पिछले तीन सालों में विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र-सहायता-कोष के लिये

---

* 31 अक्तूबर, 1972 तक आयोग ने 28 विश्वविद्यालयों और 241 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये थे।

** आयोग ने 1972-73 से अधिकतम सीमा 3,250 रु० से बढ़ाकर 5,00) रु० करने का फैसला किया है।

जो अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	उनके अनुदान	कालेजों की संख्या	उनके अनुदान
1969-70	23	2.22	1379	22.84
1970-71	33	2.62	1792	37.93
1971-72	45	3.59	1849	38.10

भ्रमण-छात्रवृत्तियाँ

आयोग विश्वविद्यालयों को भ्रमण-छात्रवृत्तियों के लिये वित्तीय सहायता देता रहा है ताकि छात्र राष्ट्रीय विकास, संस्कृति, इतिहास और शिक्षा आदि की दृष्टि से रोचक स्थानों को देखने के लिये जा सकें। इस कार्यक्रम के अधीन किसी विश्वविद्यालय को जो सहायता मिल सकती है वह अधिक से अधिक 5,000 रु० की होती है। 1971-72 में भ्रमण-छात्रवृत्तियों के लिये विश्वविद्यालयों को 1.25 लाख रु० के अनुदान दिये गये।

रोजगार-ब्यूरो और जीविका परामर्श-एकक

आयोग रोजगार, सूचना तथा परामर्श-ब्युरो स्थापित करने के वास्ते विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए राजी हो गया है। ये ब्यूरो इसलिए खोले जा रहे हैं कि पाठ्यक्रमों, छात्रवृत्तियों आदि के बारे में व्यवसायिक मार्गदर्शन करें तथा अपेक्षित सूचनाएं दें। आयोग किसी भी विश्वविद्यालय को इस प्रकार के ब्यूरो के लिए अधिक से अधिक 4,500 रु० (अनावर्ती) तथा वेतन, मानदेय एवं आनुषंगिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 13,400 रु० देगा। किसी कालेज में जीविका-परामर्श एकक की स्थापना करने के लिए आयोग अधिक से अधिक 1,200 रु० प्रतिवर्ष की सहायता देगा और यह राशि उस अध्यापक को मानदेय के रूप में मिलेगी जिसे उसकी देख-रेख का काम सौंपा जायगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आयोग ऐसे कार्यक्रमों का उन्नयन करता रहा है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निहित हो तथा अपने अध्यापन और अनुसंधान के कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को तथा कुछ अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने में विश्वविद्यालयों की मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विदेशी सहायता के कार्यक्रमों का क्रियान्वय आयोग वित-मंत्रालय के आर्थिक कार्य-विभाग तथा भारत सरकार के अन्य संबद्ध मंत्रालयों के सलाह मशविरे से करता है।

यूनेस्को, सोवियत रूस तथा ब्रिटेन ने उच्चतर अध्ययन केन्द्रों को जो सहायता दी है उसका विवरण इस रिपोर्ट में पहले ही किया जा चुका है। विविध अभिकरणों ने विश्व-

विद्यालयों को विदेशी सहायता के जो कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सौंपे हैं, उनके बारे में आवश्यक सूचना नीचे दी जा रही है।

सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रम

भारत-सरकार तथा कुछ अन्य देशों की सरकारों ने सांस्कृतिक विनिमय के जो कार्यक्रम स्वीकार किये हैं। उनके अंतर्गत आयोग भारत तथा उक्त अन्य देशों के बीच शिक्षाविदों, अध्यापकों तथा विद्वानों के विनिमय की व्यवस्था करता है। 1971-72 में भारत तथा निम्नलिखित देशों के बीच विनिमय कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनफेडरल-गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, रूमानिया, मिस्र का अरब गणराज्य, सोवियत रूस तथा यूगोस्लाविया।

आयोग ने लेटिन अमरीकी देशों, मेक्सिको, यूनान तथा ब्रिटेन के साथ भी तदर्थ आधार हर सांस्कृतिक विनिमय के कार्यक्रम लागू करना मंजूर किया।

1971-72 में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के आधीन 30 भारतीय अध्यापक विभिन्न देशों को गये और विदेशों से 25 अध्यापक भारत आये।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमो में भाग लेने के लिए भारतीय विद्वानों तथा अध्यापकों का चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर किया जाता है। विदेशी विद्वानों-अध्यापको आदि का चुनाव संबद्ध देश अपने आप करते हैं और भारत में वे कहाँ-कहाँ जायेंगे तथा उनका कार्यक्रम क्या-क्या होगा—इसकी व्यवस्था आयोग विश्वविद्यालयों तथाा अन्य उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं के सलाह मशविरे से करता है।

उम्मीद है कि 1972-73 में सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न देशों की यात्रा के लिए आयोग 60 भारतीय अध्यापक मनोनीत कर देगा।

भारत, ब्रिटेन-विनिमय कार्यक्रम

भारत और ब्रिटेन के बीच युवा वैज्ञानिकों के एक दूसरे देश में आने जाने का एक स्वीकृत कार्यक्रम है और 1971-72 में इसके आधीन आठ भारतीय वैज्ञानिकों को ब्रिटेन यात्रा के लिए चुना गया था। इसी तरह भारत की यात्रा करने के लिए आठ ब्रिटिश वैज्ञानिक चुने गये थे।। इन वैज्ञानिकों ने अपने-अपने विशेषीकरण के क्षेत्रों में व्याख्यान दिये तथा अनुसंधान कार्य में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को विस्तार देने के सवाल पर अंतर विश्वविद्यालय परिषद्, ब्रिटेन तथा ब्रिटिश कौंसिल के एक प्रतिनिधि-मंडल के साथ बातचीत हुई है। यह तय हुआ कि निकट भविष्य में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ाकर 12 या 15 कर दी जाये। यह भी तय किया गया कि इस कार्यक्रम का इस दृष्टि

से भी विस्तार किय जाये कि उसके दायरे में सामाजिक वैज्ञानिकों का भी समावेश हो जाये। 1972-73 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश जाने के इच्छुकों की अर्जियों की जाँच एक विशेषज्ञ-समिति ने की। उम्मीद है कि दोनो ओर से 10-10 लोग इस बार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक कर्मचारी-अधिवृत्तियां

आयोग राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक कर्मचारी-छात्रवृत्तियाँ जौर अधिवृत्तियाँ देने के बारे में ब्रिटेन-स्थित राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय-संघ के साथ सहयोग करता रहा। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रमंडलीय अधिवृत्तियों और छात्रवृत्तियों के लिए जो उम्मीदवार चुने, 1971-72 में उनमें से 16 ब्रिटेन-यात्रा के लिए चुन लिए गये। इस कार्यक्रम से भारतीय विद्वानों को एक दो साल ब्रिटेन में बिताने में तथा शैक्षिक कार्यकलाप में भाग लेने और विश्वविद्यालय-विभाग में अपने अनुसंधान कार्य जारी रखने में सहायता मिली है।

अन्य कार्यक्रम

जापान के विज्ञान उन्नयन संघ ने जो सहायता प्रदान की है, उसके अधीन आयोग ने संघ के विचारार्थ विजिटिंग प्रोफेसर के लिए 10 उम्मीदवारों के तथा विजिटिंग फैलोशिप के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का अनुमोदन किया है।

भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर सुविधाओं तथा परिवेश-विज्ञानों के विकास की तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को उद्योग तथा उत्पादकता के साथ जोड़ने की परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के आधीन तकनीकी सहायता के लिए स्वीकार कर लिया जाये। उम्मीद है हर परियोजना के लिए अगले दो तीन वर्ष में लगभग 1,00,000 डालर की सहायता प्राप्त होगी। इस सहायता का उपयोग विशेषज्ञ-सेवाओं, प्रशिक्षण-अधिवृत्तियों तथा बहुत ही नाजुक साज सामान के लिए किया जायेगा। विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर-सुविधाओं के विकास का कार्यक्रम आयोग द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ-समिति ने सुझाया है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडिमी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एक गोष्ठी का आयोजन किया था और उक्त गोष्ठी ने परिवेश विज्ञानों के अध्ययन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग को प्रशिक्षण अधिवृत्तियों और उपकरणों के लिए 42,000 डालर की सहायता देने का फैसला किया गया है। यह भी तय किया गय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत रुड़की विश्वविद्यालय को दो वर्ष के लिए एक वास्तु-विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध कराई जायें।

कोलंबो योजना और भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अधीन विशेषज्ञ सेवाओं, प्रशिक्षण-अधिवृत्तियों तथा उपकरण मँगाने के बारे में विश्वविद्यालयों से जो प्रस्ताव

प्राप्त हुए, वे आयोग ने भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये हैं। कोलंबो-योजना के अधीन विभिन्न देशों ने जो प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित किये हैं, उनमें भाग लेने के लिए नामजदगियाँ भारत सरकार को भेज दी गई हैं। जापान सरकार द्वारा प्रयोजित अध्ययन दौर के कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अध्यापक दो सप्ताह के लिए जापान गये। पट्टेदारी, भूमि वितरण तथा विकासमान देशों में नागरीकरण से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुधार आदि प्रश्नों पर उन्नीसवीं अध्ययन गोष्ठी में भाग लेने के लिए छह अध्यापक ब्रिटेन गये। नेपाल से दो प्रशिक्षार्थी कोलंबो योजना के अधीन विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत आये।

विभिन्न देशों में विविध प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में यूनेस्को के साथ सहयोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आयोग से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई; उनकी इत्तला विश्वविद्यालयों को दी गई और यूनेस्को के निम्नलिखित कार्यों के लिए नामांकन किये गये।

(i) कार्ल्सरुह में रासायनिक इंजीनियरी तथा भौतिक रसायन के अध्ययन अनुसंधान की सातवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए ;

(ii) ट्रिएस्ट में भौतिकी की भाषा के रूप में कंप्यूटिंग पर संगोष्ठी पाठ्यक्रम के लिए ;

(iii) प्राग में विश्लेणात्मक रसायन के चौथे अंतर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ;

(iv) समुद्र-विज्ञानों में यूनेस्को अधिवृत्तियों के लिए ;

(v) तोंक्यों में भूकंप विज्ञान तथा भूकंप इंजीनियरी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिये ;

(vi) फिलिपींस में अध्यापक शिक्षा के चौथे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ;

दो अध्येता न्यू साउथ वेल्स-विश्वविद्यालय में रसायन के अंतर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण-क्रम में भाग लेने के लिए सिडनी गये। अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र ने ट्रिएस्ट में जो शीत संस्थान आयोजित किया उसमें भाग लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्यापक को चूना गया।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की बेहतरी के लिए 1971-72 में आयोग को 47,662 डालर के यूनेस्को कूपन प्राप्त हुए। ये कूपन विश्वविद्यालयों और कालेजों को दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से छोटे-मोटे उपकरण फालतू पुर्जे तथा दुर्लभ रासायनिक पदार्थ आदि चीजें खरीदने के

लिए दे दिये गये। इन कूपनों के उपयोग पर न तो आयात-नियंत्रण की पाबंदियाँ हैं, न और तरह की औपचारिकताएँ आवश्यक होती हैं।

निष्कर्ष

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यक्रम और नीतियाँ अपनाई हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। 1971-72 में आयोग ने योजनागत तथा योजनेतर परियोजनाओं के लिए मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जो खर्चा किया वह परिशिष्ट XIII में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों को विकास परियोजनाओं के लिए जो अनुदान दिये गये और योजनागत तथा योजनेतर कार्यक्रम पर जो खर्चे हुए, उनका संकेत नीचे दिया जा रहा है।

(आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

शीर्ष	खर्च				
	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
योजनेतर कार्यक्रम*	7.52	8.08	9.06	9.83	10.37
योजनागत कार्यक्रम**	11.45	12.55	15.55	21.79	24.23

आयोग के पास जो भी साधन है, उनके अनुसार उसने वे सब भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएँ देने के सुनियोजित तथा सुसंगठित प्रयत्न किये हैं जो उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए अपेक्षित होते हैं और उच्चतर शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने तथा स्वरूप सुधारने के भरपूर प्रयास किये हैं। आयोग की पहले की रिपोर्टों में यह कहा ही जा चुका है कि विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के मौजूदा पाठ्यक्रमों तथा सुविधाओं पर विशेषज्ञ-समितियों ने पुनर्विचार किया है और उनमें सुधार लाने तथा उन्हें आधुनिक साँचे में ढालने के लिए यथोचित सुझाव दिये हैं। परीक्षा-पद्धति के विविध पहलुओं पर भी खूब सोच विचार हुआ है और मूल्याँकन के तरीके सुधारने के बारे में सिफारिशें की गई हैं। छात्र कल्याण के प्रश्नों की भी खूब छानबीन हुई है और उन पर अच्छी तरह सोच विचार करके जिन स्थितियों में छात्रों को रहना और पढ़ना लिखना पड़ता है उनमें सुधारने के लिए कदम उठाये गये हैं। उच्चतर अध्ययन केन्द्रों के विकास का कार्यक्रम जारी रहा है और साथ ही उसे विस्तार भी दिया गया। ग्रीष्म संस्थानों, संगोष्ठियों और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जिन संस्थाओं को जरूरत थी उन्हें अतिरिक्त अध्यापकों, पुस्तका-

* इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत/संबद्ध कालेजों को दिये जाने वाले अनुरक्षण-अनुदान भी शामिल हैं।

** इसमें विश्वविद्यालयों और कालेजों के सारे विकास कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

लय और प्रयोगशाला-सुविधाओं आदि के लिए सहायता दी गई। अध्यापकों को शोधग्रंथों तथा विद्वतापूर्ण कृतियों के लिए अनुदान दिये गये और सेवा-निवृत्ति के बाद भी कुछ चुने हुए अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाया गया। देश में अनुसंधान अथवा उच्चतर अध्ययन के केन्द्रों में जाने के लिए तथा विदेशों में सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए अध्यापकों तथा अनुसंधाताओं को यात्रा अनुदान भी दिये गये। विश्वविद्यालय विभागों को विशेष सहायता देने के तथा कालेजों में विज्ञान-शिक्षण का स्तर ऊपर उठाने के लिए नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। आयोग ने जो विकास-अनुदान विश्वविद्यालयों और कालेजों को दिये, उनसे उन्हें अपने वर्तमान पाठ्यक्रमों तथा अपने अनुसंधान कार्यक्रमों के सिलसिले में अधिक सुविधाएँ देने में मदद मिली है।

आयोग अपना सारा कामकाज विशेषज्ञ-समितियों की सलाह और सहायता से करता है। शिक्षा-जगत के कर्णधारों से बराबर सलाह-मशविरा किया जाता रहता है और उच्चतर शिक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आयोग को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियां बना दी गई हैं। अध्ययन एवं अनुसंधान के विकास की विविध समस्याओं पर विशेषज्ञों की राय जानने और सलाह लेने के लिए समय-समय पर तदर्थ समितियां भी नियुक्त की जाती हैं। जिन विकास-कार्यक्रमों पर अमल हो रहा है, उनकी प्रगति की समय-समय पर जांच होती रहती है और उनमें और सुधार लाने के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

इधर के वर्षों में भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी असाधारण लहर आई है और वक्त का तकाजा यह है कि उसके लिए तदनुरूप साधन जुटाये और लगाये जाये। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनिवार्य सुविधाओं की बड़ी सख्त जरूरत है--ऐसी हालत में अक्सर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि प्रतियोगी कार्यक्रमों में किसे कितनी प्राथमिकता दी जाये। फिर, चूंकि विस्तार और वृद्धि की गति बहुत तीव्र है इसलिए जब तक विविध कार्यक्रमों पर समुचित पूंजी न लगाई जाये तब तक कोई सार्थक परिणाम प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है।

हाल के वर्षों में कुछ संस्थाओं में बड़ी गम्भीर अव्यवस्था और अशांति की घटनाएं भी घटी हैं—हिंसा-कांड हुए हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ें हुई हैं, बसें और सिनेमाघर जलाये गये हैं, कक्षाओं तथा परीक्षा-कक्षों में से विरोध-प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों के उठकर बाहर चले जाने की घटनाएं घटी हैं, आदि-आदि। इस तरह की घटनाओं के तरह-तरह के कारण होते हैं—जैसे, शिक्षित बेरोजगारों के सामने एक अनिश्चित भविष्य का होना जिसके कारण उनमें निराशा की गहरी भावना घर कर जाती है, कुछ पाठ्यक्रमों का स्वरूप बहुत यांत्रिक तथा असंतोषजनक होना, पढ़ने-पढ़ाने की सुविधाएं अपर्याप्त होना, शिक्षक-शिक्षित के बीच अपर्याप्त सम्पर्क, अधिकारियों में कल्पना, कौशल और उसके साथ ही दृढ़ता का अभाव होना, अध्यापकों, छात्रों तथा प्रशासन में निरंतर बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण तथा विश्वविद्यालय-व्यवस्था पर सामाजिक-राजनीतिक कारणों एवं परिस्थितियों का प्रभाव। यह बात मानने की है, जैसाकि शिक्षा-आयोग (1964-66) ने भी कहा था, कि "इस स्थिति का दायित्व

किसी एक पक्ष पर नहीं है। न इसकी जिम्मेदारी अकेले छात्रों पर है, न अभिभावकों पर, न अध्यापकों पर, न राज्य-सरकारों पर और न राजनीतिक दलों पर। इसकी जिम्मेदारी तो सबके ऊपर है, बहुपक्षीय है। फिर, वस्तुस्थिति में भी दूसरे अनेक कारण मौजूद हैं। अतः इसका कोई भी हल तब तक नहीं हो सकता जब तक इस रोग के जिम्मेदार सब पक्ष अपना-अपना कर्त्तव्य न निबाहें। छात्र असंतोष के कुछ उपचार ऐसे भी हैं जो-शिक्षा व्यवस्था के घेरे में नहीं आते।"

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश के सामने जो बड़ी-बड़ी और जटिल समस्याएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक उपलब्धियों का स्तर ऊंचा उठाने में काफी प्रगति हुई है। कठिनाइयों के बावजूद, ध्यान देने की बात यह है कि देश की विकासमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विविध प्रकार तथा विविध श्रेणियों के कार्मिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति विश्वविद्यालय तथा उच्चतर अध्ययन एवं अनुसंधान की अन्य संस्थाएं काफी हद तक कर रही हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों ने आयोग को जो सहायता और सहयोग दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। जिन विद्वान-अध्यापकों और शिक्षाविदों ने आयोग की विभिन्न समितियों के सदस्यों के रूप में काम किया है उनके प्रति आयोग आभार व्यक्त करता है। राज्य-सरकारों से, भारत-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से, योजना-आयोग तथा आयोग के विविध क्रियाकलाप तथा गतिविधियों से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से जो सहयोग-सहायता मिली उसके लिए भी आयोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है।

आर० के० छाबड़ा
सचिव

डी० एस० कोठारी
अध्यक्ष

जे० एन० भान
इंदुमती चिमनलाल
जार्ज जैकब
तापस मजुमदार
सरूप सिंह
एम० आर० यार्डी

परिशिष्ट-I

भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं

1971-72

स्थापना वर्ष	क्रमांक	विश्वविद्यालय	कुल छात्र-संख्या
1	2	3	4
1857	(1)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	2,44,584
	(2)	बम्बई विश्वविद्यालय	1,02,436
	(3)	मद्रास विश्वविद्यालय	1,46,690
1887	(4)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	17,006
1916	(5)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी)	14,539
	(6)	मैसूर विश्वविद्यालय	76,429
1917	(7)	पटना विश्वविद्यालय	13,317
1918	(8)	उसमानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद)	63,983
1921	(9)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	9,336
	(10)	लखनऊ विश्वविद्यालय	24,852
1922	(11)	दिल्ली विश्वविद्यालय	64,707
1923	(12)	नागपुर विश्वविद्यालय	84,785
1926	(13)	आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयर)	80,119
1927	(14)	आगरा विश्वविद्यालय	56,501
1929	(15)	अन्नामलई विश्वविद्यालय (अन्नामलई नगर)	5,899
1937	(16)	केरल विश्वविद्यालय (त्रिवेन्द्रम)	1,24,644
1943	(17)	उत्कल विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)	34,415
1946	(18)	सागर विश्वविद्यालय	20,291
1947	(19)	राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर)	66,192
	(20)	पंजाब विश्वविद्यालय (चंडीगढ़)	1,26,282
1948	(21)	गौहाटी विश्वविद्यालय	65,734
	(22)	कश्मीर विश्वविद्यालय (श्रीनगर)	16,239
1949	(23)	रुड़की विश्वविद्यालय	1,959
	(24)	पूना विश्वविद्यालय	78,245

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

1	2	3	4
	(25)	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	17,308
	(26)	कर्नाटक विश्वविद्यालय (धारवाड़)	68,372
1950	(27)	गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद)	78,769
1951	(28)	एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (बम्बई)	12,502
	(29)	विश्वभारती (शांतिनिकेतन)	1,281
1952	(30)	बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर)	73,802
1954	(31)	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (तिरुपति)	31,072
1955	(32)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय (वल्लभ विद्यानगर)	12,459
	(33)	जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता)	4,305
1956	(34)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र)	5,354
	(35)	इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (खैरागढ़)	27
1957	(36)	विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन)	16,217
	(37)	गोरखपुर विश्वविद्यालय	48,173
	(38)	जबलपुर विश्वविद्यालय	18,658
1958	(39)	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी)	967
	(40)	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (औरंगाबाद)	44,156
1960	(41)	उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय (नैनीताल)*	1,942
	(42)	बर्दवान विश्वविद्यालय	57,520
	(43)	कल्याणी विश्वविद्यालय	1,924
	(44)	भागलपुर विश्वविद्यालय	42,578
	(45)	रांची विश्वविद्यालय	40,080
1961	(46)	के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	——
1962	(47)	पंजाब कृषि-विश्वविद्यालय (लुधियाना)	2,317
	(48)	पंजाबी विश्वविद्यालय (पटियाला)	26,440
	(49)	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)	1,282
	(50)	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (सिलीगुड़ी)	23,111
	(51)	रवीन्द्र भारती (कलकत्ता)	3,501
	(52)	मगध विश्वविद्यालय (गया)	58,809
	(53)	जोधपुर विश्वविद्यालय	9,528

*इसका नाम अब गोबिन्दवल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (गोविन्द वल्लभ पंत यूनिवर्सिटीऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलोजी) रख दिया गया है।

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

1	2	3	4
	(54)	उदयपुर विश्वविद्यालय	7,478
	(55)	शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर)	53,356
1964	(56)	इंदौर विश्वविद्यालय	16,853
	(57)	जीवाजी विश्वविद्यालय (ग्वालियर)	22,520
	(58)	रविशंकर विश्वविद्यालय (रायपुर)	23,955
	(59)	कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय (बंगलोर)	2,036
	(60)	आंध्र प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय (हैदराबाद)	2,000
	(61)	बंगलोर विश्वविद्यालय	42,596
	(62)	जवाहरलाल नेहरू कृषि-विश्वविद्यालय (जबलपुर)	1,777
1965	(63)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	23,844
1966	(64)	कानपुर विश्वविद्यालय	46,564
	(65)	मेरठ विश्वविद्यालय	47,133
	(66)	मदुरै विश्वविद्यालय	63,559
	(67)	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय (राजकोट)	30,491
	(68)	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (सूरत)	20,519
1967	(69)	बरहामपुर विश्वविद्यालय	6,947
	(70)	संबलपुर विश्वविद्यालय	12,946
1968	(71)	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय (जामनगर)	2,774
	(72)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (नई दिल्ली)	505
	(73)	महात्मा फूले कृषि-विद्यापीठ	2,767
	(74)	कालीकट विश्वविद्यालय	55,661
	(75)	अवधेशप्रतापसिंह विश्वविद्यालय (रीवां)	11,683
	(76)	असम कृषि-विश्वविद्यालय (जोरहाट)	830
1969	(77)	गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर)	46,184
	(78)	जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू)	10,506
	(79)	पंजाबराव कृषि-विश्वविद्यालय (अकोला)	4,051
1970	(80)	हरियाणा कृषि-विश्वविद्यालय	1,129
	(81)	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (शिमला)	14,720
	(82)	भोपाल विश्वविद्यालय	14,303
	(83)	राजेन्द्र कृषि-विश्वविद्यालय (पटना)	1,136
1971	(84)	तमिलनाडु कृषि-विश्वविद्यालय (कोयंबटूर)	1,122
1972	(85)	कोचीन विश्वविद्यालय	306
	(86)	केरल कृषि-विश्वविद्यालय (त्रिचूर)	405

(31. 3. 72 तक)

परिशिष्ट I (क्रमशः)

मान्यता-प्राप्ति का वर्ष*	क्रमांक	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं	कुल छात्र-संख्या
1	2	3	4
1958	(1)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बंगलौर)	939
	(2)	भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान (नई दिल्ली)	410
1962	(3)	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार)	372
	(4)	जामिया मिलिया इसलामिया (नई दिल्ली)	1,002
1963	(5)	गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद)	568
	(6)	काशी विद्यापीठ (वाराणसी)	2,192
1964	(7)	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (बम्बई)	146
	(8)	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड साइंस (पिलानी)	2,113
1967	(9)	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (धनबाद)	278
	कुल जोड़		28,42,314

टिप्पणी :

1. जिस वर्ष किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिनियम अंगीकार किया गया उसी वर्ष के आधार पर उनके नाम यहां क्रमानुसार दिए गए हैं।

2. छात्रों की संख्या आमतौर से 15 अगस्त, 1971 तक की सूचना के आधार पर दी गई है और उसमें विश्वविद्यालय-विशेष के अंगभूत/सम्बद्ध कालेजों के छात्रों की भी संख्या शामिल कर ली गई है। जहां तक इंदिरा कला-संगीत-विश्व-विद्यालय, रवीन्द्र भारती तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रश्न है, उनके आंकड़ों में विश्वविद्यालय-परिसर के छात्रों की संख्या ही बताई गई है। के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र-संख्या कितनी है—इसकी सूचना नहीं मिल सकी। जिन कालेजों ने 1971-72 के आंकड़े नहीं भेजे, उनके संदर्भ में पिछले साल के आंकड़ों का उपयोग कर लिया गया है।

3. संख्याओं के जोड़ में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, से सम्बन्धित कालेजों की इंटरमीडिएट कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या शामिल नहीं की गई है।

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय मानी जाने वाली संस्था के रूप में मान्यता का वर्ष।

परिशिष्ट II

पाठ्यक्रमों के अनुसार कालेजों का वितरण

(1967-68 से 1971-72 तक)

पाठ्यक्रम	कालेजों की संख्या				
	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
कला, विज्ञान और वाणिज्य	2,054	2,219	2,361	2,587	2,798
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	106	105	106	107	108
आयुर्विज्ञान, फार्मेसी, आयुर्वेद, परिचर्या एवं दंत-चिकित्सा	141	157	167	176	186
विधि	66	77	85	91	95
कृषि	54	53	54	57	57
पशुचिकित्सा-विज्ञान	21	21	23	23	23
शिक्षा	202	224	235	258	269
प्राच्यविद्या	179	179	188	226	272
अन्य (शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा ललित कलाएं)	76	77	78	79	88
जोड़	2,899	3,112	3 297	3,604	3,896

परिशिष्ट III

छात्रों की भरती में वृद्धि

(1961-62 से 1971-72 तक)

वर्ष	कुल भरती*	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1961-62	11,55,380	1,20,446	11.6
1962-63	12,72,666	1,17,286	10.2
1963-64	13,84,697	1,12,031	8.8
1964-65	15,28,227	1,43,530	10.4
1965-66	17,28,773	2,00,546	13.1
1966-67	19,49,012	2,20,239	12.7
1967-68	22,18,972	2,69,960	13.9
1968-69	24,73,264	2,54,292	11.5
1969-70	27,92,630	3,19,366	12.9
1970-71	30,01,292	2,08,662	7.5
1971-72	32,62,314	2,61,022	8.7

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत इंटरमीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या भी इसमें शामिल है।

परिशिष्ट IV

छात्रों की भरती : संकायवार

1969-70 से 1971-72 तक

संकाय	1969-70		1970-71		1971-71	
	भरती*	कुल का%	भरती*	कुल का%	भरती*	कुल का%
कला (प्राच्यविद्या समेत)	12,18,022	43.6	13,29,626	44.3	14,73,979	45.2
विज्ञान	9,14,739	32.8	9,48,009	31.6	9,88,089	30.3
वाणिज्य	2,96,325	10.6	31,44,108	11.5	3,96,009	12.1
शिक्षा	51,854	1.8	56,922	1.9	63,658	2.0
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	97,889	3.5	90,034	3.0	85,543	2.6
आयुर्विज्ञान	95,017	3.4	97,601	3.2	1,02,446	3.1
कृषि	43,415	1.6	43,352	1.4	42,184	1.3
पशुचिकित्सा-विज्ञान	6,131	0.2	6,222	0.2	6,086	0.2
विधि	56,240	2.0	70,618	2.4	84,443	2.6
अन्य	12,998	0.5	14,800	0.5	19,877	0.6
जोड़	27,92,630	100.0	30,01,292	100.0	32,62,314	100.0

* बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी इसमें शामिल है ।

परिशिष्ट V

छात्रों की भरती : स्तरवार

(1969-70 से 1971-72 तक)

स्तर	1969-70		1970-71		1971-72	
	भरती*	कुल का %	भरती*	कुल का%	भरती*	कुल का%
प्री-यूनिवर्सिटी	5,62,947	20.2	5,60,809	18.7	3,98,104	12.2
इंटरमीडिएट	4,23,174	15.2	4,74,869	15.8	7,82,646	24.0
प्री-प्रोफेशनल	13,809	0.5	11,974	0.4	16,523	0.5
स्नातक	16,03,898	57.4	17,46,090	58.2	18,35,077	56.2
स्नातकोत्तर	1,46,804	5.3	1,61,182	5.4	1,80,343	5.5
अनुसंधान	12,474	0.4	13,311	0.4	14,995	0.5
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	29,524	1.0	33,057	1.1	34,626	1.1
जोड़	27,92,630	100.0	30,01,292	100,0	32,62,314	100.0

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी इसमें शामिल है।

परिशिष्ट VI

विश्वविद्यालय-विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और उनका पदनामवार वितरण

(1967-68 से 1971-72 तक)

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	प्राध्यापक*	अनुशिक्ष निदर्शक	जोड़
1	2	3	4	5	6
1967-68	1,606 (9.2)	2,575 (14.8)	12,110 (69.3)	1,165 (6.7)	17,456 (100.0)
1968-69	1,872 (9.8)	2,834 (14.9)	12,991 (68.2)	1,361 (7.1)	19,058 (100.0)
1969-70	1,903 (9.6)	2,944 (14.9)	13,449 (68.1)	1,461 (7.4)	19,757 (100.0)
1970-71	2,139 (9.9)	3,324 (15.4)	14,389 (66.5)	1,767 (8.2)	21,619 (100.0)
1971-72	2,273 (10.0)	3,616 (15.8)	15,296 (67.0)	1,657 (7.2)	22,842 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये हुए आँकड़े वर्ष-विशेष में कुल अध्यापक-वर्ग के संदर्भ में पद-विशेष का प्रतिशत अनुपात व्यक्त करते हैं।

* इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

परिशिष्ट VII

संबद्ध कालेजों में अध्यापकों का पदनामवार वितरण

(1967-68 से 1971-72 तक)

वर्ष	वरिष्ठ* प्राध्यापक	प्राध्यापक**	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1967-68	11,555 (13.7)	61,861 (72.8)	11,482 (13.5)	84,998 (100.0)
1968-69	12,167 (13.2)	67,320 (73.3)	12,398 (13.5)	91,885 (100.0)
1969-70	12,838 (12.9)	73,360 (73.9)	13,097 (13.2)	99,295 (100.0)
1970-71	13,185 (12.3)	80,468 (75.0)	13,604 (12.7)	1,07,257 (100.0)
1971-72	14,395 (12.4)	88,617 (76.1)	13,350 (11.5)	1,16,362 (107.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये हुए आँकड़े वर्ष-विशेष में कुल अध्यापक-वर्ग के संदर्भ में पद-विशेष के प्रतिशत अनुपात को व्यक्त करते हैं।

* इनमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं।

** इनमें सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

परिशिष्ट VIII

जो डिग्रियाँ दी गई

(1966-67 से 1968-69 तक)

संकाय	डिग्रियाँ पाने वालों की संख्या			प्रतिशत वृद्धि
	1966-67	1967-68	1968-69	1966-67 से 1968-69 तक
1	2	3	4	5
कला-संकाय				
बी० ए०*	1,14,353	1,40,319	1,50,118	31.3
एम० ए०	30,726	35,438	40,285	31.1
डाक्टरेट	624	763	664	6.4
विज्ञान-संकाय				
बी० एस-सी०*	49,767	59,045	74,242	49.2
एम० एस-सी०	8,892	10,454	11,722	31.8
डाक्टरेट**	765	900	1,020	33.3
वाणिज्य-संकाय				
बी० काम०*	22,611	28,598	31,832	40.8
एम० काम०	3,400	3,843	4,806	41.4
डाक्टरेट	26	31	35	34.6
शिक्षा-संकाय				
बी० एड०/बी० टी०	29,747	32,006	36,865	23.9
एम० एड०	911	1,024	1,097	20.4
डाक्टरेट	21	28	24	14.3
विधि-संकाय				
एल-एल० बी०/बी० एल०	10,027	13,043	13,670	36.3
एल-एल० एम०/एम०एल०	137	122	165	20.4
डाक्टरेट	3	4	4	33.3

* इसमें आनर्स भी शामिल हैं।

** गणित की डाक्टरेट-उपाधियों को विज्ञान-संकाय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

परिशिष्ट VIII (क्रमश:)

1	2	3	4	5
कृषि-संकाय				
बी० एस-सी० (कृषि)	6,129	5,476	6,976	13.8
एम० एस०-सी० (कृषि)	892	1,223	1,417	58.9
डाक्टरेट*	96	89	123	28.1
पशुचिकित्सा-विज्ञान-संकाय				
बी० वी० एस-सी०	1,120	996	1,206	7.7
एम० वी० एस-सी०	174	136	173	—0.6
डाक्टरेट	9	21	18	100.0
आयुर्विज्ञान-संकाय				
एम० बी० बी० एस०	6,317	6,892	8,197	29.8
एम० डी०/एम० एस०	1,115	1,121	1,190	6.7
डाक्टरेट	5	20	26	420.0
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संकाय				
बी-ई/बी०एस-सी० (इंजी०) बी० एस-सी० (प्रौद्यो०) आदि	14,001	15,422	15,225	8.7
एम० ई०/एम०एस-सी० (ईजी०) एम० एस-सी० (प्रौद्यो०) आदि	628	620	508	—19.1
डाक्टरेट	33	66	75	127.3
डिग्रियों की कुल संख्या	3,02,529	3,57,790	3,91,558	29.4

* इसमें भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान से निकले हुए अनुसंधाताओं के आँकड़े भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-IX

उच्चतर अध्ययन-केन्द्र

विषय और विशेषीकरण का क्षेत्र	विभाग
	I. विज्ञान
भौतिकी	
1. सैद्धान्तिक भौतिकी और खगोल-भौतिकी	भौतिकी एवं खगोल-भौतिकी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. रेडियो-भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी	रेडियो भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ रेडियो-फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स), कलकत्ता विश्वविद्यालय।
3. क्रिस्टल-विज्ञान तथा जैव-भौतिकी	भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
रसायन	
1. वस्त्र-तंतु एवं रंजकद्रव्य-रसायन	रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बंबई विश्व-विद्यालय, बंबई।
2. प्राकृतिक उत्पादन-रसायन	रसायन-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
वनस्पति विज्ञान	
1. पादप-आकारिकी तथा भ्रौणिकी	वनस्पति विज्ञान-विभाग, दिल्ली विश्व-विद्यालय, दिल्ली।
2. पादपरोग-विज्ञान तथा कवक-विज्ञान	वनस्पति विज्ञान-विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
प्राणिविज्ञान	
1. कोशिका-जैविकी तथा अंतःस्राविकी	प्राणिविज्ञान-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
भूविज्ञान	
1. हिमालयी भूविज्ञान तथा जीवाश्म-विज्ञान	भूविज्ञान-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चन्डीगढ़।
2. संरचनात्मक भूविज्ञान, भू-आकारिकी, शैलविज्ञान तथा खनिज-विज्ञान	भूविज्ञान तथा अनुप्रयुक्त भूविज्ञान- विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर।

परिशिष्ट-IX (क्रमशः)

1	2
गणित	
1. शुद्ध गणित	गणित-विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई। (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंबई के सहयोग से)
2. अनुप्रयुक्त गणित	अनुप्रयुक्त गणित-विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, और गणित-विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय।
3. शुद्ध गणित	गणित-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।
4. शुद्ध गणित	गणित विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, तथा रामानुजन गणित संस्थान, मद्रास।
प्रयोगात्मक खगोलिकी	
1. प्रयोगात्मक खगोलिकी	खगोलिकी-विभाग तथा निज़ामिया वेधशाला, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
जीवरसायन	
1. प्रोटीन, लिपिड, विटामिन	जीवरसायन-विभाग, भारतीय विज्ञान-संस्थान (इंस्टि-ट्यूट आफ साइंस), बँगलोर।
II. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	
अर्थशास्त्र	
1. लोकवित्त तथा औद्योगिक अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र-विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई।
2. विकास का अर्थतत्व तथा आर्थिक इतिहास	अर्थशास्त्र-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. कृषि-अर्थशास्त्र	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनामिक्स, पूना विश्वविद्यालय, पूना।
इतिहास	
1. प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति	प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति-विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

परिशिष्ट-IX (क्रमश:)

1	2
दर्शन	
1. दर्शन (भारतीय)	दर्शन-विभाग, बानरस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।
2. अद्वैत और तत्संबद्ध दर्शन	दर्शन-विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
3. तत्त्वमीमांसा	दर्शन-विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन ।
संस्कृत	
1. संस्कृत साहित्य	संस्कृत-विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
भाषा विज्ञान	
1. अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान	दकन कालेज स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान-संस्थान पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
2. द्राविड़ भाषाविज्ञान	भाषाविज्ञान विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर ।
शिक्षाशास्त्र	
1. शिक्षा-शास्त्रीय अनुसंधान	शिक्षाशास्त्र-विभाग, एम० एस० बड़ौदा विश्व-विद्यालय, बड़ौदा ।
इतिहास	
1. मध्ययुगीन भारतीय इतिहास	इतिहास-विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ।
समाजशास्त्र	
1. समाजशास्त्र	समाजशास्त्र-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ।

परिशिष्ट X

संकायवार भरती* : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज

(1971-72)

संकाय	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़ 1971-72	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत अनुपात		
				1971-72	1970-71	1969-79
कला	1,32,694	11,58,165	12,90,859	89.7	88.8	88.8
विज्ञान	78,312	7,12,377	7,90,689	90.1	90.0	90.6
वाणिज्य	28,426	3,52,543	3,80,969	92.5	91.8	91.5
शिक्षा	6,359	57,299	63,658	90.0	88.5	88.2
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	23,659	61,884	85,543	72.3	72.5	72.6
आयुर्विज्ञान	7,664	94,782	1,02,446	92.5	91.8	92.9
कृषि	19,051	7,673	26,724	28.7	36.1	41.1
पशु-चिकित्सा-विज्ञान	4,161	1,925	6,086	31.6	35.5	39.3
विधि	27,951	56,492	84,443	66.9	62.7	59.2
अन्य	4,548	6,349	10,897	58.3	65.2	68.8
जोड़	3,32,825	25,09,489	28,42,314	88.3	87.6	87.7

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तरप्रदेश की इण्टरमीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या इसमें सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट XI

स्तरवार भरती* : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज

(1971-72)

स्तर	विश्वविद्यालय-विभाग	संबद्ध	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत अनुपात		
	विश्वविद्यालय-कालेज	कालेज		1971-72	1970-71	1969-70
प्री-यूनिवर्सिटी	10,935	3,87,169	3,98,104	97.3	95.6	95.4
इण्टरमीडिएट	29,008	3,33,638	3,62,646	92.0	99.9	99.8
प्री-प्रोफेशनल	649	15,874	16,523	96.1	91.4	92.6
स्नातक	1,72,878	16,62,199	18,35,077	90.6	89.2	89.3
स्नातकोत्तर	91,451	88,892	1,80,343	49.3	47.7	48.3
अनुसंधान	13,335	1,660	14,995	11.1	11.8	12.7
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	14,569	20,057	34,626	57.9	56.5	57.0
जोड़	3,32,925	25,09,489	28,42,314	88.3	87.6	87.7

* इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश से संबंद्ध इण्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या शामिल नहीं है।

परिशिष्ट XII

कालेजों को दिया गया विकास-अनुदान

(1971-72)

क्रमांक	योजना	धनराशि (रुपये)
1.	छात्रावासों का निर्माण	54,79,472
2.	प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय-सुविधाएं	2,88,65,741
3.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	17,79,426
4.	विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	15,99,671
5.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	7,58,157
6.	पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं	37,99,068
7.	कल्याण-योजनाएं	
	(i) छात्र-सहायता-कोष	38,01,346
	(ii) अनावासी छात्र-केन्द्र	13,78,688
	(iii) शौकिया कामों के वर्कशाप	24,352
	(iv) पानी के कूलर	21,752
	(v) छात्र-कल्याण-कार्यक्रम	66,75,142
	(vi) किताब-कोषों की स्थापना	1,14,12,742
8.	(i) दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत / संबद्ध कालेजों को विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान	29,34,878
	(ii) दिल्ली विश्वविद्यालय के नये कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान	1,27,05,531
9.	शतवार्षिकीय अनुदान	1,35,000
10.	छात्रवृत्तियां आदि	
	(i) अनुसंधान-अधिवृत्तियां	
	(क) मानविकी	34,512
	(ख) विज्ञान	96,428
	ii) सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग	4,11,739

परिशिष्ट XII (क्रमशः)

क्रमांक	योजना	धनराशि (रुपये)
	(iii) अनुसंधान के लिये अध्यापकों को वित्तीय सहायता :	
	(क) मानविकी	98,575
	(ख) विज्ञान	1,64,539
	(iv) अरबी और फारसी में छात्रवृत्तियाँ	18,373
	(v) पार्वत्य क्षेत्र-छात्र-वृत्तियाँ	7,375
	(vi) संस्कृत/पालि/प्राकृत के लिये स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	10,800
11.	चाक बोर्डों का सुधार	1,50,105
12.	कालेज-अध्यापकों को यात्रा-अनुदान	1,06,691
13.	अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेज	13,70,034
14.	अर्धसूक्ष्म-विश्लेषण-उपकरण की खरीद	1,56,502
15.	कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम	49,67,000
16.	संगोष्ठियां, परिसंवाद, वर्कशाप	2,10,996
17.	ओवरहड टंकियाँ	53,200
18.	साइकिल शेड	1,36,000
19.	विविध योजनाएँ	6,51,050
	जोड़	9,00,14,885

परिशिष्ट XIII

व्यय : योजनागत तथा योजनेतर परियोजनाएं

(1971-72)

प्रयोजन		रकम (रुपयों में)
योजनेतर परियोजनाएं		
1.	प्रशासनिक व्यय	38,32,470
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान	7,20,80,000
3.	अंगभूत/संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान	2,39,57,053
4.	एकमुश्त अनुदान में जो योजनाएं शामिल नहीं हैं उनके लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	38,08,751
	जोड़	10,36,78,274
योजनागत परियोजनाएं		
1.	केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को मानविकी के लिये अनुदान	2,54,10,292
2.	केन्द्रीय और राज्य-विश्वविद्यालयों को विज्ञान के लिये अनुदान	4,04,09,045
3.	केन्द्रीय और राज्य-विश्वविद्यालयों को इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के लिये अनुदान	1,90,76,687
4.	अंगभूत तथा संबद्ध कालेजों के लिये अनुदान	9,00,14,885
5.	केन्द्रीय तथा राज्य-विश्वविद्यालयों के विविध योजनाओं के लिये अनुदान	4,46,46,191
6.	विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग द्वारा संगोष्ठियों-सम्मेलनों आदि पर विविध व्यय	9,51,054
7.	भारत-सरकार तथा अन्य स्रोतों से विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिये प्राप्त अनुदानों में से व्यय	18,44,281
	जोड़	24,23,52,435
	कुल जोड़ (योजनागत तथा योजनेतर)	**34,60,30,709**

विश्वविद्यालयों में छात्रों की भरती

1961-62 से 1971-72 तक

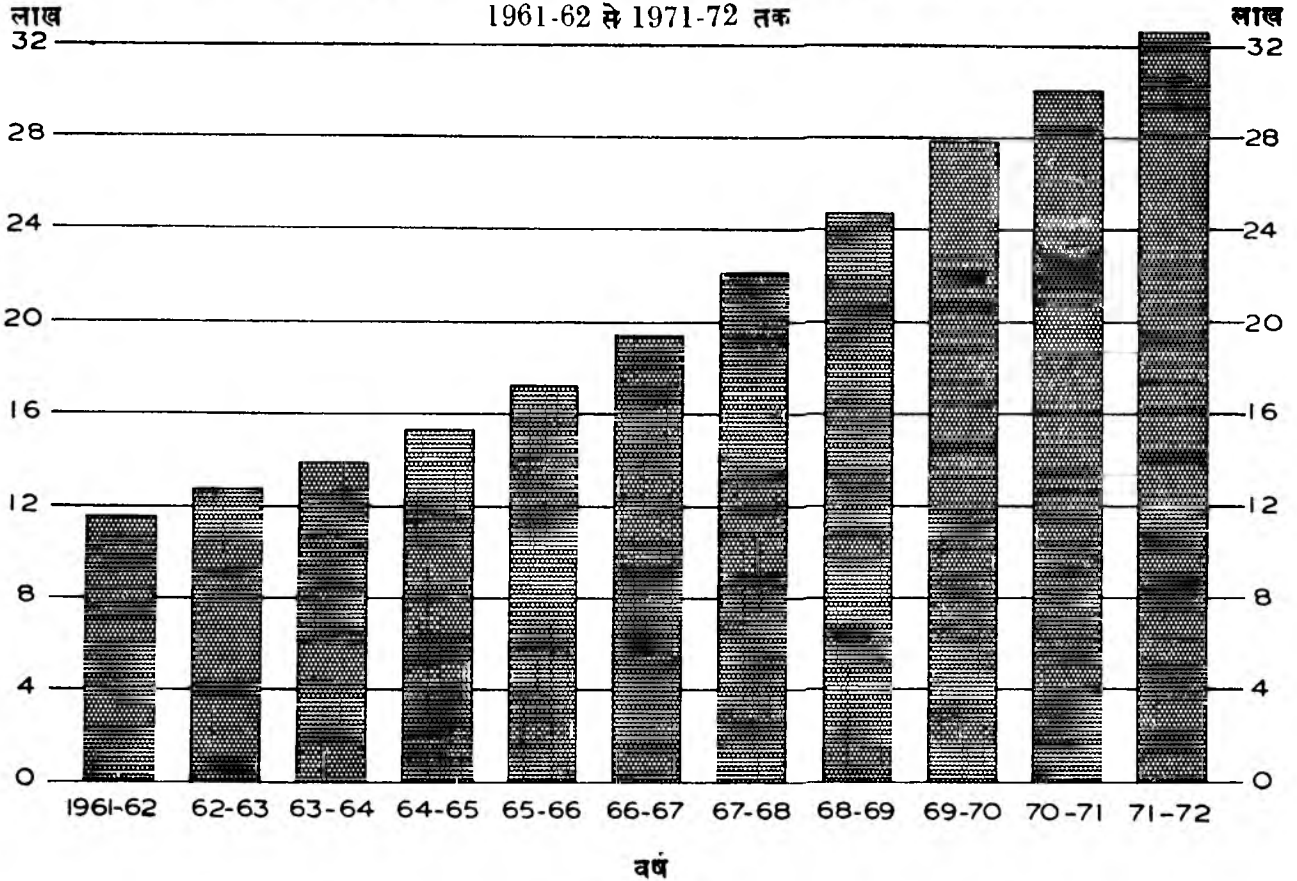

संकायवार भरती

1969-70 से 1971-72 तक

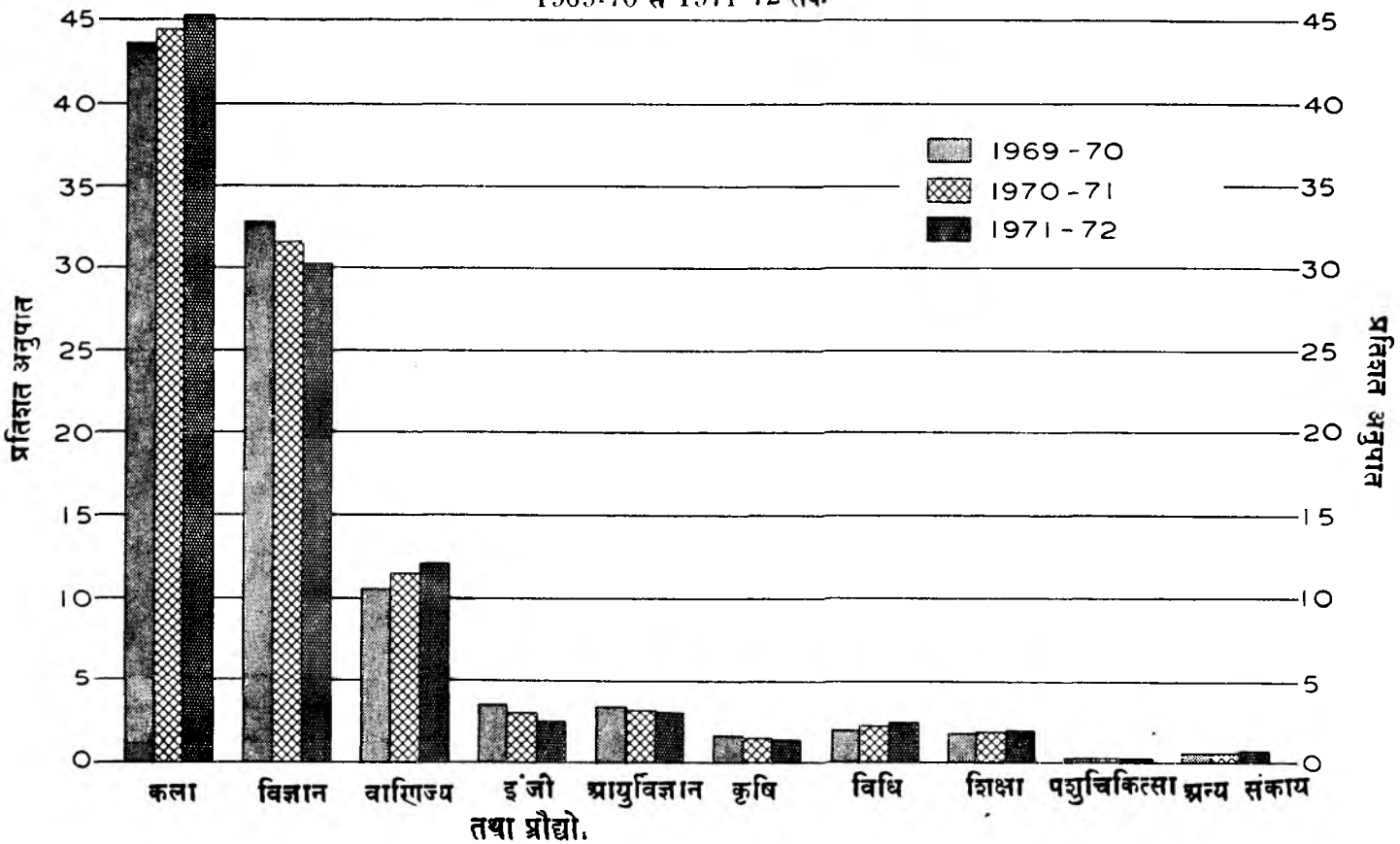

स्तरवार भरती

1969-70 से 1971-72 तक

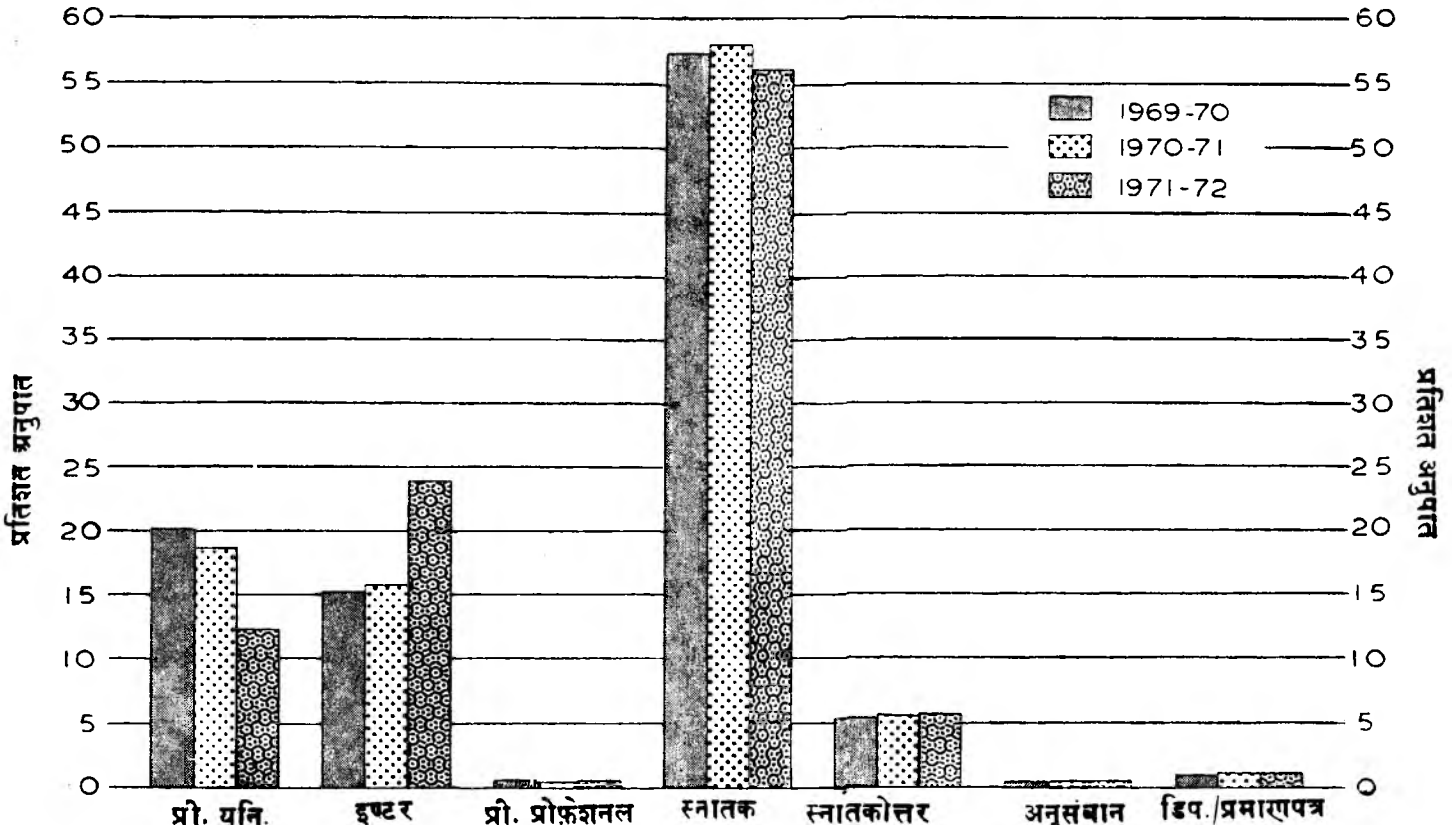

स्नातकोत्तर भरती

1961-62 से 1971-72 तक

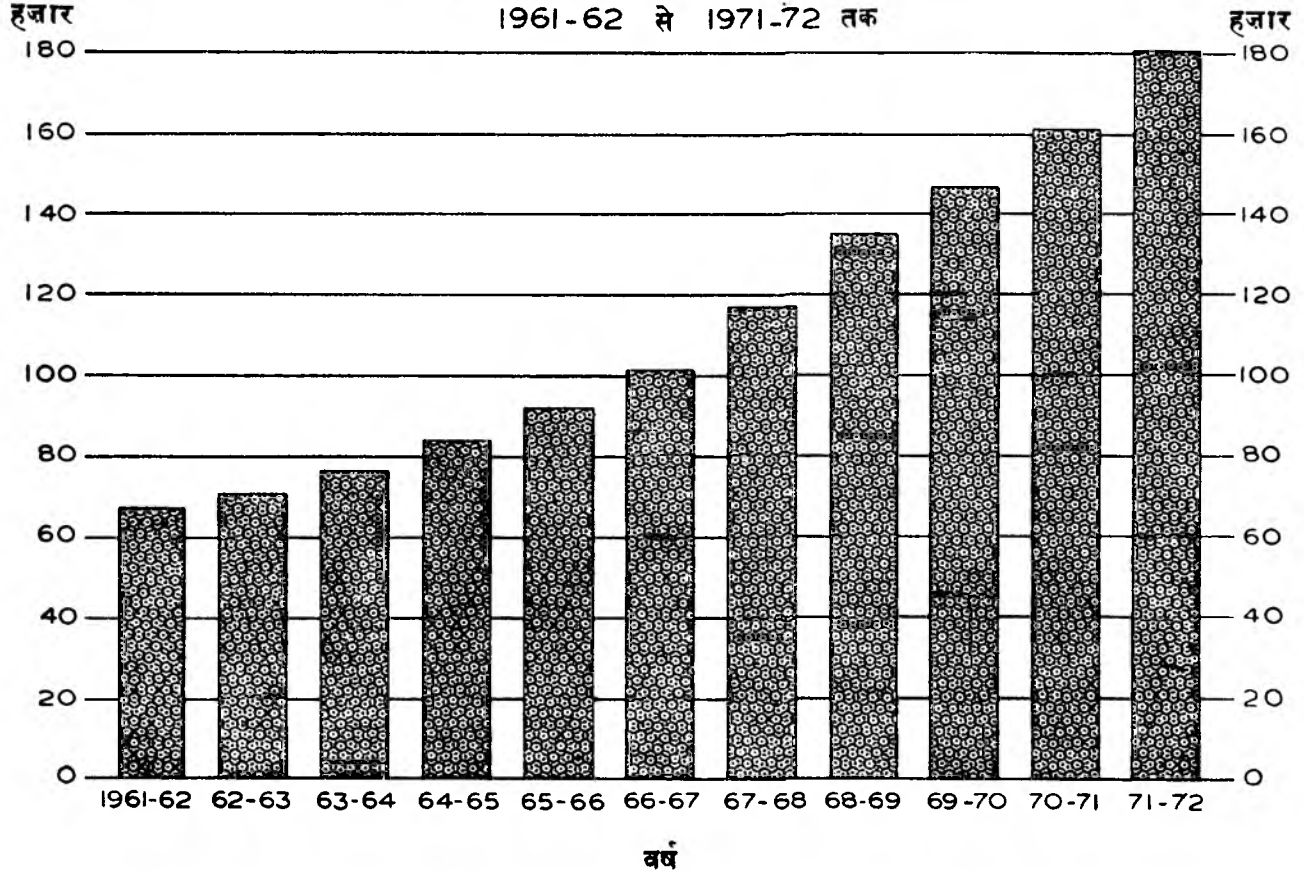

अनुसंधान में भरती

1961-62 से 1971-72 तक

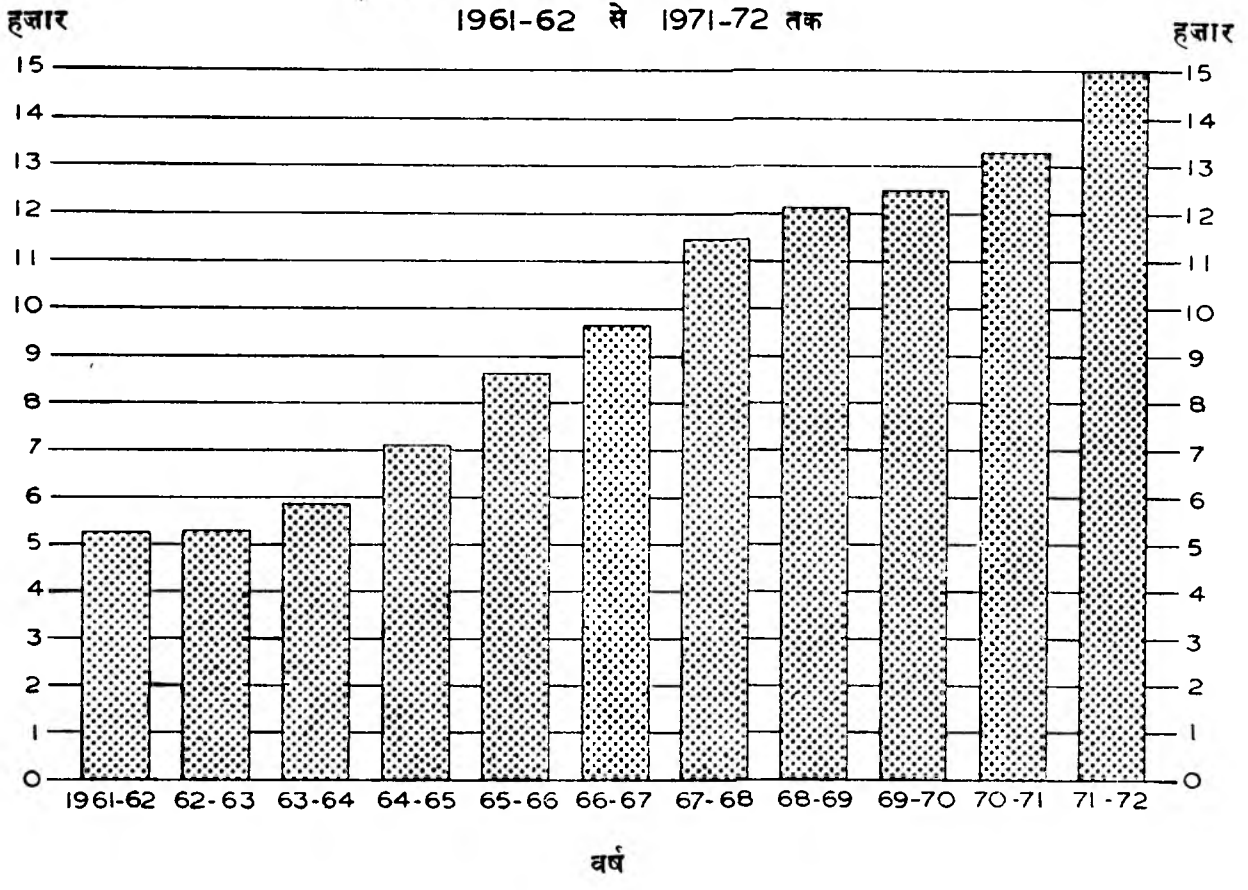

पदनामवार अध्यापकों का वितरण

1971-72

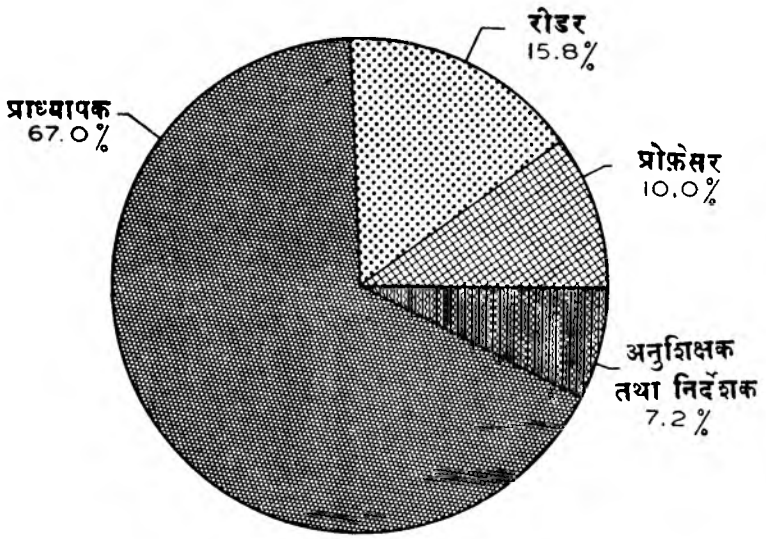

विश्वविद्यालय-विभाग

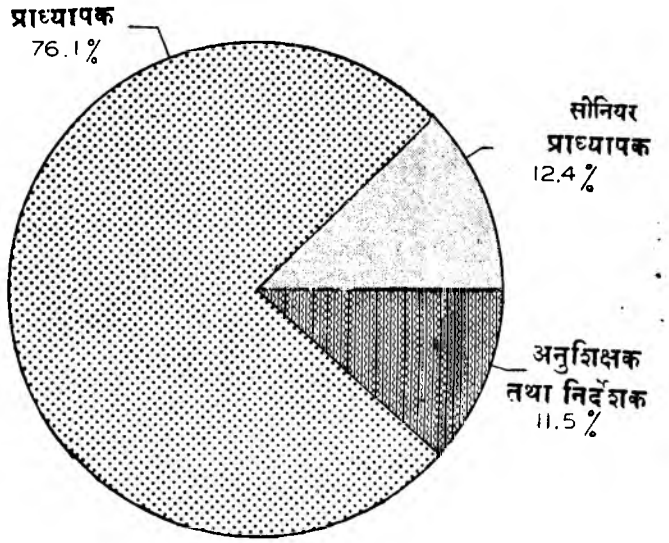

संबद्ध कालेज

अध्यापकों का संकायवार वितरण

1971-72

NIEPA DC
D06251

Date 8/7/91
Doc. No. D-6251